मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 24 अंक : 06

5 फरवरी 2024

क्या ईवीएम है देश का नया स्कैम?

ईवीएम से हो रहा है विपक्ष का शिकार

चुनाव आयोग बना सरकार की ढाल

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
विशेष संवाददाता	अर्चना शर्मा

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल

मो. 98260-64596, मो. 9893014600

फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com

Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका **वर्ष 24 अंक 06 05 फरवरी 2024**

(पृष्ठ क्र.-6)

- घोटालों का राज्य है झारखंड! 44
- महाराष्ट्र में शीघ्र आएगा सियासी भूकंप! 46
- बिहार का सियासी खेला : नीतिश के फिर एनडीए में 48
- राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 51
- परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की अनिवाय सेवानिवृत्ति....................54
- छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक थे वीर नारायण सिंह 58
- Hindi belt versus Hindu belt 62

शेषन आज जीवित होते तो...
..हमारी दादागीरी यूँ नहीं चल रही होती !
विजया

श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मोदी का संदेश

22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्रीरामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस भव्य आयोजन को पूरे भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया गया। साथ ही इस आयोजन को लेकर राजनीति भी काफी हुई। आयोजन को लेकर कहा जा सकता है कि यह एक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक कार्यक्रम था। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान की भूमिका निभाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने इस घटना को इस तरह वर्णित किया, यह कैलेंडर पर महज एक तारीख नहीं, एक नए काल चक्र की उत्पत्ति है। उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि दिव्य मंदिर में रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्रीराम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। ऐसी तमाम बातों का उल्लेख उन्होंने किया। प्रधानमंत्री के भाषण के मायने समझाते हुए वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता सवाल करते हैं, क्या राम इससे पहले दुनिया में नहीं थे। पीएम ये बताना चाह रहे हैं राम को बीजेपी और आरएसएस लेकर आए हैं। ये एक राजनीतिक संदेश है जो आने वाले चुनाव को देखकर दिया गया है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी का ये नारा था कि जो राम को लेकर आएंगे हम उनको लेकर आएंगे। इस कार्यक्रम से पहले जिस तरह से देशभर में झंडे बांटे गए और भजन-कीर्तन हुआ। इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सिर्फबीजेपी ही हिंदुओं की एक मात्र रक्षक है वरना तो यहां मस्जिद होती और लोग गुलामी की जिंदगी जीते। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय त्रिवेदी भी मानते हैं कि पीएम का भाषण राजनीतिक था। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनके भाषण में राजनीतिक संदेश तो होगा ही।

निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा होने से देश के अंदर एक बहुत बड़े मुददे से मुक्तिमिली है, क्योंकि यह मुददा पिछले कई दशकों से हमारे देश के अंदर चुनावों के पहले पनप जाता था। अब इसका अंत हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि भगवान श्रीराम हमारी आस्था के, विश्वास के और हमारी श्रद्धा के पुरोधार्य हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा राजनीति से इतर है। यदि कोई पार्टी या नेता आस्था के इस केन्द्र को लेकर राजनीति करती है तो यह अशोभनीय है। हमारी सनातन परंपरा के खिलाफ है। यह सच है कि भगवान किसी पार्टी ने नहीं बल्कि सबके हैं। सबकी असीम श्रद्धा उनमें है।

अब यह समय चुनाव का है। निश्चित ही बीजेपी चाहेगी कि वह इस उपलब्धि को भुनाने की पूरी कोशिश करे। देश के एक बहुत वर्ग का जुड़ाव बीजेपी से हो। आयोजन को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई। प्रचार-प्रसार किया गया वह इसी का एक हिस्सा था। यही वजह है कि कुछ लोग आयोजन की रूपरेखा का विरोध कर रहे हैं।

विजया पाठक

क्या ईवीएम है
देश का नया स्कैम?
ईवीएम से हो रहा है विपक्ष का शिकार
ताड़
ताड़
ताड़
ताड़
ताड़
ताड़
ताड़
ताड़
EC
विपक्ष
भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
चुनाव आयोग बना
सरकार की ढाल
विजया :)

लोकतांत्रिक देश में कहीं लोकतंत्र खतरे में तो नहीं है। यह सवाल आज देश का हर बुद्धिजीवी वर्ग पूछ रहा है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव का मतलब इस देश के नागरिकों का वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनना है, लेकिन सोचिए अगर लोग जो वोट डाल रहे हैं वहीं पर गड़बड़ी हो जाए या फिर लोगों ने वोट डाल दिया उसके बाद वोट गिरने के बाद भी वहां बैठे ऑफीसर ही गड़बड़ी कर बैठे और वह सत्ता के लिए काम करने लगे तो लोकतंत्र की कौन दुहाई देगा। यह सवाल मौजूदा वक्त में हर किसी के जेहन में आ रहा है। क्योंकि चुनाव को लेकर जो सवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने यह कहकर उठा दिया कि 2024 के चुनाव इस देश में आखिरी चुनाव होंगे। मौजूदा वक्त में जिस हिसाब से परिस्थितियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं उससे तो यही लगता है कि देश के अंदर लोकतंत्र विश्वसनीयता खोता जा रहा है। हाल ही में राजनीतिक तौर पर एक चुनाव चंडीगढ़ के मेयर का हुआ। संख्या बल कम होने के बाद भी भाजपा ने कैसे बाजी पलट दी। 16 वोट के साथ भाजपा के मनोज सोनकर जीत गए। वहीं आप और कांग्रेस गठबंधन के 20 में से 08 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। ऐसी स्थिति में लोगों का चिंतन लाजिमी भी है। यह भी सच है कि आजकल भारत में होने वाले चुनावों के परिणामों को भारत का नागरिक एक संदेह की नजर से देखता है। वह एक ठगा हुआ महसूस करता है। वह सोचता है कि उसका वोट कहां गया। वह सोचता है कि उसने जो वोट दिया है वह कहां गया। ऐसे असंख्य सवालों के घेरे में वह घिरा रहता है।

दूसरी तरफईवीएम की बात की जाये तो देश की तमाम पार्टियों के साथ-साथ कई संगठनों द्वारा भी इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता पर सवाल खड़े किये जा रहे हैं। सुर्पीम कोर्ट के वकील ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे स्लोगन लिखे तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम हटाओ मोर्चा के तहत सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि क्या ज्यूडिशरी किसी प्रेशर में है? क्या चुनाव आयोग प्रेशर में है? तमाम वकील अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि एक्शन लिया जाए एवं पर कोई बड़ा कदम लिया जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं वकील सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं वह सारी बातें हमने प्ले कार्ड पर लिखी हुई हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है तो देश में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, संविधान नहीं बचेगा, जुडिशरी भी नहीं बचेगी। अभी जो आंकड़े आए हैं। पांच राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से विशेष कर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वोटों का बहुत अंतर है। इस अंतर में ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है।

ईवीएम को लेकर एक और दिलचस्प बात सामने आयी है। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम भारत की दो कंपनी बनाती हैं। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), बेंगलुरु। इन दोनों कंपनी के डायरेक्टर भाजपा से जुड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इन्हें चुनाव लड़वाती है, चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी देती है। एक डायरेक्टर ओबीसी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय सचिव हैं। इनको कई जगहों पर विधानसभा क्षेत्र में भी लगाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री के साथ, भाजपा के अध्यक्ष के साथ, भाजपा के नेताओं के साथ इनकी तस्वीर सामने आती हैं। यहां पर सभी के जेहन में यह सवाल उत्पन्न होगा कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीजेपी का व्यक्ति ही है, उस कंपनी से बने ईवीएम में कैसे पारदर्शी माना जा सकता है। अगर इस देश के पब्लिक सेक्टर की उन कंपनियों में डायरेक्टर के तौर पर हैं, जिन कंपनियों का काम इस देश में चुनाव के लिए उपयोग में ले जाने वाली मशीनों को बनाना है तो आगे का रास्ता किधर जाता है यह आप एक क्षण के लिए सोचकर देखिए, यह सवाल उठाने जायज हैं।

विजया पाठक

स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिये महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसमें निष्पक्ष, सटीक तथा पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया में ऐसे परिणाम शामिल हैं जिनकी पुष्टि स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव होते हैं तथा नागरिकों के लिए मौलिक मानवाधिकार होते हैं। मतदान के तरीके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मतदाताओं की पसंद को राजनीतिक जनादेश में बदल देते हैं जो नीति निर्माण की नींव बनता है। परंपरागत मतदान प्रणाली (बैलेट) इन लक्ष्यों में से अधिकांश को पूरा करती है, लेकिन फर्ज़ी मतदान तथा मतदान केंद्रों पर कब्जा जैसा दोषपूर्ण व्यवहार लोकतंत्र के लिये गंभीर खतरे हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिये निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार के प्रयास निरंतर करता रहा है। ईवीएम का प्रयोग भी चुनाव सुधार की एक कड़ी थी। लेकिन समय के साथ इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता पर सवाल खड़े होने लगे। लोकतंत्र को अमल में लाने वाले दुनिया के सबसे बड़े देश भारत में, जहां 80 करोड़ से भी अधिक मतदाता हैं और जटिल बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। चुनावी धोखाधड़ी भारतीय चुनाव आयोग के सामने मौजूद एक प्रमुख चुनौती रही है। धोखाधड़ी रोकने और जटिल चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का प्रयोग 90 के दशक के अंतिम वर्षों में शुरू किया। प्रयोग के तौर पर वोटिंग मशीनों का सबसे पहला

> मौजूदा परिस्थितियां बताती है कि ईवीएस को लेकर जो घमासान मचा है वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो काफी तूल देने वाला है। खासकर सुप्रीम कोर्ट के जो वकील प्रदर्शन कर विरोध कर रहे हैं वह काफी प्रभावित करने वाला है। इसके साथ ही लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एक सुर में ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर लामबंद हैं। देश के तमाम हिस्सों में हुए चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ियों के जो उदाहरण सामने आ रहे हैं वह भी मायने रख रहे हैं।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अमेरिका भी नहीं करता ईवीएम पर भरोसा

यहां सवाल यह भी उठता है कि ईवीएम इतना भरोसेमंद है तो लगभग ढाई सौ साल पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका में बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। वहां का चुनाव आयोग इसकी एक वजह ये बताता है कि अमेरिकी नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं है। हर बात पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भरोसा करने वाले अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और पेपर बैलेट ज्यादा भरोसेमंद है, जिसमें उनका वोट वहीं जाता है, जहां वे चाहें। इसके अलावा पेपर बैलेट यहां पर 18वीं सदी से चला आ रहा है इसलिए इसे चुनाव में एक रिचुअल की तरह भी देखा जाता है। अमेरिका में ई-वोटिंग का एकमात्र तरीका है ईमेल या फैक्स से वोट करना। इसमें भी वोटर को बैलेट फार्म भेजा जाता है, जिसे वो भरते हैं और ई-मेल या फैक्स कर सकते हैं। छेड़छाड़ या हैकिंग के डर से दुनिया के कई देशों में ईवीएम पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका में भी या तो ईवीएम है नहीं, या फिर कई राज्यों में ये है भी तो बिना पेपर ट्रोल वाली ईवीएम मशीन पर रोक है। खासतौर पर पर्ची निकलने के बाद मतदाता उसे बैलेट बॉक्स में डालता है, मतलब अमेरिका जैसे समृद्ध देश के मतदाता आज भी अपना वोट अपने हाथों से बैलेट बॉक्स में डालते हैं।

उपयोग 1982 में केरल राज्य के पारूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। आरंभिक सफलता के बाद आयोग ने 1990 में राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग के लिए 150,000 मशीनें खरीदीं। हालांकि राजनीतिक दल मशीनों की सुरक्षा को लेकर आशंकित थे। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के उपयोग के वैधानिक अधिकार पर सवाल खड़ा करते हुए एक याचिका दायर की गई

ईवीएम की विश्वसनीयता पर मचा घमासान मोदी सरकार पर विपक्ष का चौतरफा घेराव

थी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कानून में आवश्यक प्रावधान किए बिना वोटिंग मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। दिसंबर 1998 में आवश्यक संविधान संशोधनों के बाद, इन मशीनों का उपयोग दिल्ली, मध्यप्रदेश और राजस्थान के 16 चुनिंदा विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा का चुनाव पूरी तरह ईवीएम के जरिए कराया

क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का.....

ईवीएम पर न हमें भरोसा है, न जनता को

भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किये जाने चाहिए और आज के दौर में तकनीक का सहारा लेकर छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ईवीएम हटाकर मत पत्र से चुनाव कराए जाएं और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं तो वोट की पर्ची मतदाता को हाथ में मिलनी चाहिए जिसे वह मत पेटी में डालें और इसी पर्ची को गिना जाए। जैसे अमेरिका में लोग ईवीएम से मतदान कर वीवीपेट की पर्ची निकालकर मतपेटी में अपने हाथों से डालते है। इसके बाद मतपेटी से निकलने वाली पर्चियों की गणना के हिसाब से उम्मीदवार जीतता या हारता है। भारत में वीवीपैट में पर्चियों की गणना नहीं की जाती। ईवीएम पर न हमें भरोसा है, न जनता को। जनता वोट डालती है कांग्रेस को और चला और कहीं जाता है। जनता में यह विश्वास जगाना होगा कि जनता जिसको वोट डाल रही है, उसका वोट वहीं डल रहा है। पूरा देश ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। कई जगह गड़बड़ी सामने आ चुकी है। भाजपा न जाने क्यों ईवीएम का पक्ष ले रही है। काउंटिंग के दौरान ईवीएम 99 प्रतिशत चार्ज कैसे थी। क्या वोटिंग में इनका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जब बैलेट पेपर में कांग्रेस 230 में से 199 सीटों पर आगे चल रही थी, तो ईवीएम खुलते ही अचानक कैसे बीजेपी आगे निकल गई। कुछ विधायक मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि उनके अपने गांव में 50 वोट नहीं मिले हैं, यह कैसे हो सकता है ? एग्जिट पोल में भी यही रिजल्ट दिखाया था। जो वोट भारत का नागरिक डाल रहा है, उसमें छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100 प्रतिशत

गया था। उसी वर्ष में कराए गए संसदीय चुनाव में भी 17 राज्यों के 45 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम के जरिए चुनाव हुए। संसदीय चुनावों के साथ होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम के उपयोग को उन 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के दायरे में आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया था। अगले साल 2000 में हुए राज्यों के चुनावों में भी ईवीएम का उपयोग उन्हीं 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के दायरे में आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित रहा। फरवरी 2000 में

सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाए। ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं, तो वोट की पर्ची मतदाता को हाथ में मिलनी चाहिए, जिसे वह मत पेटी में डालें और इसी पर्ची को गिना जाए।

मैंने जिस राजनैतिक स्कूल से ट्रेनिंग ली है, वहां पर इस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों से छेड़छाड़ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं सिखाया गया है। मेरे 45 वर्ष से ऊपर के राजनैतिक सफर में न तो जीतने और सत्ता हासिल करने के लिए इन सब तरीकों का मैंने सहारा लिया है। ऐसे अनैतिक तरीकों से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करना देश के उज्जवल भविष्य पर कुठाराघात करने जैसा है। इस बार के लोकसभा 2024 आम चुनावों में चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर आमूलचूल बदलाव करना चाहिए। जिसमें से मैं अपनी इतने वर्षो के राजनैतिक अनुभव होने के कारण उनको सुझाव दे सकता हूँ। जैसे पूरे चुनाव प्रक्रिया को पाँच चरणों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहले चुनावों के दौरान फर्स्ट लेवल चैक वोटिंग वाले दिन से 90 दिन पहले करवा लेना चाहिए। अभी फिलहाल यह प्रक्रिया मतदान के 21 दिन पूर्व की जाती है। इसका मतलब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का फर्स्ट लेवल चैक अभी तक हो जाना चाहिए था। इसके बाद प्रथम अक्रमीकरण प्रक्रिया की जाती है जिसे अभी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट और वीवीपैट की असेम्बली की जाती थी, इनकी असेम्बली के लिए मशीनों का चुनाव सॉफ्टवेयर की जगह न करके मैनुअल लॉटरी के आधार पर किया जाये। तीसरी प्रक्रिया चुनाव चिन्ह लोड करने की होती है जिसे अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ईसीआईएल के इंजीनियरर्स वीवीपैट पर लेपटॉप से कनेक्ट कर लोड करते हैं। इस प्रक्रिया को द्वितीय अक्रमीकरण के बाद किया जाता है। मेरा सुझाव चुनाव आयोग को यह है कि इस प्रक्रिया को द्वितीय की जगह प्रथम अक्रमीकरण के दौरान किया जाये। नॉमीनेशन का आखिरी दिन और वोटिंग के बीच में कोई 14 दिन का समय रहता है जिसे 16 से 17 दिनों तक बढ़ा देना चाहिए। चौथी प्रक्रिया जिसे द्वितीय अक्रमीकरण कहते हैं जिसमें प्रथम अक्रमीकरण के दौरान जो बैलेट यूनिट, कन्ट्रोल यूनिट और वीवीपैट की असेम्बली की गई थी उसे बूथ नम्बर के लिए आवंटित कर दिया जाता है यह प्रक्रिया भी साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। इस वर्तमान प्रक्रिया को भी मैनुअल लॉटरी के आधार पर किया जाए, साथ-साथ इस प्रक्रिया को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के बाद किया जाना चाहिए। आखिरी प्रक्रिया वीवीपैट की स्लिप के लिए करना चाहिए जैसा कि अमेरिका में होता है। जहां ईवीएम का उपयोग होता है वहां वीवीपैट की पर्चियों को मैनुअली बैलेट बाक्स में मतदाता द्वारा डाला जाता है ओर इन पर्चियों की मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे आते हैं। इन सब के बाद भी अगर चुनाव आयोग को इससे संतुष्ट नहीं होता है तो कम से कम मतगणना चालू होने से पहले वीवीपैट से कुछ मतपर्चियों की गणना अक्रमीकरण आधार पर करना चाहिए। आज चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे आदर्श लोकतंत्र बनाने के लिए मेरे दिये हुये सुझावों को जरूर अपनाना चाहिए।

आयोग ने हरियाणा के 90 में से 45 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम के उपयोग का आदेश दिया। उसके बाद हुए सारे चुनाव ईवीएम का उपयोग करके कराए गए। भारत 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ई-लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नई दिल्ली में हुए कांग्रेस के 84वें महाधिवेशन में बैलट के माध्यम से चुनाव करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

दिग्विजय सिंह ने EVM को लेकर किया बड़ा खुलासा, आरोप लगाते हुए बताया कैसे होती है ईवीएम हैक

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईवीएम से जुड़े कई सवाल किए और लाइव डेमो के जरिए वोटिंग गड़बड़ी का आरोप लगाया। दिग्विजय सिंह ने डेमो में दिखाया कि ईवीएम में वोट किसी और को दिया गया और गया किसी और को। दिग्विजय ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी से लेकर कई नेताओं ने इस पर अविश्वास जताया था। चर्चा हुई तो वीवीपैट मशीन आई। 2003 में ईवीएम से चुनाव शुरू हुआ। तब कर्मचारियों में नाराजगी थी। बटन दबाओ, वोट कहां चला जाता है पता नहीं लगता। मददान का अधिकार लोगों का संवैधानिक है। लोगों को पता लगना चाहिए कि आखिर वोट कहां जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब ईवीएम का सॉफ्टवेयर तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथ में है। पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है, न अधिकारी-कर्मचारी हैं। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने और डालने वाला है। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है।

EVM को हैक करने के दावे

ईवीएम दो पार्ट में बंटा है, पहला पार्ट बैलेटिंग यूनिट जो वोटर के सामने होता है। इस पर कैंडिडेट के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। एक बार में 16 कैंडिडेट के ना दिखाए जा सकते हैं और एक मशीन में 3840 वोट डाले जा सकते हैं। साथ ही ज्यादा कैंडिडेट हैं तो एक साथ 4 मशीन को जोड़ा जा सकता है। दूसरा पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है जहां से बटने दबाने पर वोटर वोट डालता है। एक वोट के बाद जब तक कंट्रोल यूनिट से बटन नहीं दबाया जाएगा, तब तक दूसरा वोट नहीं डाला जा सकता। यूट्यूबर और इंजीनियर गौरव चौधरी के मुताबिक ईवीएम को दो तरीकों से हैक किया जा सकता है। पहला डिस्प्ले बदलकर और दूसरा मशीन की मेमोरी री-राइट करके। कोई जानकार आदमी मशीन में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ डिस्प्ले लगाकर वोटिंग के बाद सील करते समय मनचाहा वोट दिखा सकता है और फिर बाद में वोट काउंट को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा तरीका मशीन की मेमोरी की अपने डाटा के साथ री-राइट करके। हालांकि यह इतना आसान नहीं क्योंकि मशीन के सभी सॉफ्टवेयर इम्बेडेड हैं। उन्हें ना ही निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं लेकिन यह काम भी जबरदस्ती संभव है। मई 2010 में अमरीका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है।

हालिया वर्षों में देश में हुए चुनावों-उपचुनावों में ईवीएम अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर देश में एक बहस बराबर छिड़ी रहती है। कुछ क्षेत्रीय दल भी बैलट के माध्यम से चुनाव करवाने का समर्थन करते रहे हैं। तमाम दलों को ईवीएम के खिलाफ एकजुट होता देख केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने भी संकेत दिए

कि अगर सभी दलों में सहमति बनती है तो भविष्य में ईवीएम के बजाय बैलट पेपर से चुनाव कराए जाने पर विचार किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बैलट पेपर के स्थान पर ईवीएम को सभी दलों की सहमति के बाद ही लाया गया था। इसी कड़ी में जब लगभग सभी दलों में सहमति बनी और बात ईवीएम पर आकर रूकी तो सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रतिष्ठानों–

ईवीएम में गड़बड़ियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण

पिछले कुछ दिनों में मध्यप्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में काफी जानकारी निकलकर सामने आयी है। पिछले दस सालों से बड़ी सूक्ष्मता से हर बूथ की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा तैयार कर कार्य किया जाता है। बूथ स्तर के वोटर्स का टारगेट इस तरीके से सेट किया गया है कि किसी को भी गड़बड़ी का अंदेशा ही नहीं लग पाए और वोट में इतना भारी अंतर की गड़बड़ियां का खुलासा ही न हो पाए। अल्पसंख्यक बूथों और सीटों पर इस तरह का कोई मैनेजमेंट किया जाता है ताकि किसी को भी गड़बड़ी का शक न हो पाए। अमूमन लगातार हारने वाले बूथों का चयन कर उनका आर्थिक-सामाजिक रूपरेखा का ध्यान रखते हुए उन वोटों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जैसे कांग्रेस की हमेशा जीतने वाली बूथों को 2019 एवं 2023 में भाजपा ने जीता है। अति सूक्ष्मता से देखा जाए तो इस बार के चुनावों के नतीजे 2019 के आम चुनाव एवं 2020 के उपचुनावों जैसा ही नज़र आ रहा है, जिसमें कांग्रेस का वोट शेयर पहले जैसा ही रहा। पर बाकी सब वोट शेयर को भाजपा के तरफ बड़ी मजबूती से गया है। ऐसे ही कुछ मामलों को प्वाईट टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार है-

प्वाइंट नंबर -1

कांग्रेस का वोट शेयर को न छेड़ते हुए बचे हुए वोट शेयर में अधिकांशत ट्रांसफर हुए, जबकि प्री पोल सर्वे और पोस्ट पोल सर्वे और उनके रिज़ल्ट में भारी अंतर देखने को मिला और उनका वोट शेयर 50 प्रतिशत से ज्यादा का रहा। उन सीटों का उदाहरण नीचे टेबल में दिया गया है-

विधानसभा क्षेत्र का नाम	प्री-पोल सर्वे/एग्जिट पोल सर्वे		पोस्ट रिज़ल्ट सर्वे		चुनाव का नतीजा	
	कांग्रेस	बीजेपी	कांग्रेस	बीजेपी	कांग्रेस	बीजेपी
38-देवरी 45	42.5	42	45	42	55	
33-चंदेरी 40	44	40	49	41.5	55.60	
146-कुरवाई	41	41	40	49	41.5	55.60
161-बयावरा	44	50	45	50	39.91	57.61
163-खिलचीपुर	46	44	46	47	45.44	52.20
169-कालापीपल	46	44	44	47	44.37	50.41
162-राजगढ़	43	42	41	48	41.93	53.53
221-गरोठ	46	44	46	43	44	52.81

प्वाइंट नंबर -2

काफी सारी विधानसभा सीटों की सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस 2013 के चुनावों की तरह आगे चल रही थी। इसके साथ ही वोट शेयर पैटर्न 2019 के लोकसभा चुनावों के तरह ही आए है।

प्वाइंट नंबर -3

चुनावों में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वो बूथ हारी जहां से हमेशा वो चुनाव जीतती आ रही थी। इनमे अल्पसंख्यक बूथ शामिल नहीं किए गए है। 2023 के चुनावों में पिछले 6 चुनावों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त कमी आई है। कुछ चुनिंदा विधानसभा और उनके बूथ का डेटा संलग्न है-

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बैंगलौर तथा इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के सहयोग से निर्वाचन आयोग ने ईवीएम की खोज तथा डिज़ाइनिंग की।

ईवीएम को लेकर देश में एक बार फिर

विधानसभा नंबर	विधानसभा क्षेत्र	बूथ नंबर	बूथ का नाम/गांव	पिछली बार मिले न्यूनतम वोट प्रतिशत	कांग्रेस को 2023 में मिले वोट प्रतिशत
33	चंदेरी	47	अमहाई नईसराय	60.78	14
33	चंदेरी	79	गहौरा	60.67	20
33	चंदेरी	88	सिरानी	49.39	22
33	चंदेरी	106	मामन	61.84	26
33	चंदेरी	114	ईसागढ़	42.46	21
33	चंदेरी	115	ईसागढ़	47.88	18
33	चंदेरी	122	आनंदपुर	04.27	7
33	चंदेरी	124	कालिटर	61.20	24
33	चंदेरी	126	कुलावर	65.41	20
33	चंदेरी	138	फुटेरा पछार	64.81	20
33	चंदेरी	150	पाथाखेड़ा	51.23	23
33	चंदेरी	170	हंसारी	69.67	24
33	चंदेरी	205	चंदेरी	69.67	26
33	चंदेरी	212	प्राणपुर	65.28	37
33	चंदेरी	218	टाडा	52.00	16
33	चंदेरी	222	विक्रमपुर	77.93	26
33	चंदेरी	229	सूटर	51.35	16
38	देवरी	26	महाका	41.65	19
38	देवरी	56	खेरीकलां	38.53	20
38	देवरी	76	बकोरी	40.07	16
38	देवरी	109	बिजौरा	95.99	4
38	देवरी	110	खामखेड़ा	71.56	9
38	देवरी	111	घोषीपट्टी	70.56	3
38	देवरी	115	साराखेड़ा	48.41	18
38	देवरी	116	गंगावारा	44.83	19
38	देवरी	117	गौरझामर	59.20	17
38	देवरी	124	गौरझामर	54.53	13
38	देवरी	157	सिमरिया हर्राखेड़ा	48.03	12
38	देवरी	172	विचुवा भवतार	41.28	12
38	देवरी	190	देवारी 10, सुभाष वार्ड	42.45	26
38	देवरी	208	पिपरिया पाठक	62.18	11
38	देवरी	211	धुलतारा	55.86	18
38	देवरी	245	महाराजपुर-3	76.33	36
38	देवरी	253	तिरतापानी	58.85	38
86	कोतमा	173	सेमरा	60	43
96	बरगी	273	सालिवदा	52.63	35.70

बहस शुरू हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी यह मुददा गर्माया हुआ है। हालांकि सत्तापक्ष और विपक्ष में दिए जा रहे तर्क पुराने ही हैं, उनमें नया कुछ भी नहीं है लेकिन हाल में देश के कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के अनपेक्षित नतीजों

विधानसभा नंबर	विधानसभा क्षेत्र	बूथ नंबर	बूथ का नाम/गांव	पिछली बार मिले न्यूनतम वोट प्रतिशत	कांग्रेस को 2023 में मिले वोट प्रतिशत
146	कुरवाई	7	बमोरीशाला-3	52.81	34
146	कुरवाई	16	त्रिभुवनपुर	45.45	18
146	कुरवाई	28	कुडका	45.43	21
146	कुरवाई	65	बेराखेड़ी	40.53	24
146	कुरवाई	66	चितौरा	52.82	23
146	कुरवाई	101	करमोदिया	72.08	19
146	कुरवाई	164	बरेठा	62.10	34
146	कुरवाई	169	जनाखेड़ी	36.02	16
146	कुरवाई	186	सफली	39.67	8
146	कुरवाई	197	गोंडखेड़ी	49.21	11
146	कुरवाई	200	चौपड़ा	39.33	15
146	कुरवाई	222	भालाबामोरा-1	45.64	24
146	कुरवाई	230	कुल्हड़ा-2	41.22	24
161	ब्यावरा	10	बिन्याखेड़ी	61.08	10
161	ब्यावरा	16	माल्याखेड़ी	65.00	18
161	ब्यावरा	23	कचनारिया	78.00	27
161	ब्यावरा	30	गुजरीबे	44.62	27
161	ब्यावरा	35	भोजपुरिया	53.05	14
161	ब्यावरा	44	जराकडयािखेड़ी	44.06	14
161	ब्यावरा	45	सुंदरखेड़ा	96.86	28
161	ब्यावरा	49	पिपलाहेड़ा	79.75	22
161	ब्यावरा	81	ब्यावरा	61.30	26
161	ब्यावरा	98	कोदियाखेड़ी	66.24	22
161	ब्यावरा	103	निव्या	62.73	25
161	ब्यावरा	117	नेपनेरा	54.55	22
161	ब्यावरा	121	अमरगढ़	66.88	15
161	ब्यावरा	132	बेदाबे	56.72	6
161	ब्यावरा	149	नारवे	51.06	16
161	ब्यावरा	157	मउ	80.75	22
161	ब्यावरा	162	सलारिया खेड़ी	69.75	20
161	ब्यावरा	171	सेमलापार	57.51	19
161	ब्यावरा	183	खेजड़ा महाराजा	45.16	24
161	ब्यावरा	225	बैहेड़ा	76.60	25
161	ब्यावरा	262	मुदाली	81.33	33
161	ब्यावरा	266	कदीयमित्रसेन	50.33	26
161	ब्यावरा	271	गड़िया	47.12	26

और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ईवीएम की बहस नये सिरे से छिड़ चुकी है। इस विवाद को विराम कैसे दिया जाये या मसले पर कोई सार्थक बहस कैसे हो। यह अब भी स्पष्ट नहीं है। ईवीएम पर शंका करने वाले चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी

विधानसभा नंबर	विधानसभा क्षेत्र	बूथ नंबर	बूथ का नाम/गांव	पिछली बार मिले न्यूनतम वोट प्रतिशत	कांग्रेस को 2023 में मिले वोट प्रतिशत
161	ब्यावरा	282	निनोर	68.12	25
162	राजगढ़	2	कंडेला	63.19	27
162	राजगढ़	5	हिम्मतपुरा	68.46	22
162	राजगढ़	12	धमन्या (भोजपुर)	75.47	30
162	राजगढ़	36	करकारा	71.88	26
162	राजगढ़	48	सेडारा	46.32	26
162	राजगढ़	58	रामपुरिया	63.66	26
162	राजगढ़	65	छगोड़ा	52.65	14
162	राजगढ़	92	राजगढ़	56.96	22
62	राजगढ़	102	राजगढ़	53.66	22
162	राजगढ़	134	जलालपुरा	92.31	18
162	राजगढ़	144	सांडाखेड़ी	56.46	10
162	राजगढ़	154	कालीखेड़ा	74.85	33
162	राजगढ़	177	बरखेड़ा	63.94	33
162	राजगढ़	191	गोरखुरा	71.45	23
162	राजगढ़	212	खुजनेर	65.48	12
163	चिलचीपुर	14	झरन्या	61	40
163	चिलचीपुर	19	किशनपुरा	66	26
163	चिलचीपुर	55	माचलपुर	66	33
163	चिलचीपुर	61	पोलखेड़ा	63	12
163	चिलचीपुर	76	कंवलसी खेड़ा	74	17
163	चिलचीपुर	88	मानपुरा	70	6
163	चिलचीपुर	93	खोखरिया	72	17
163	चिलचीपुर	99	चिलावद	80	43
163	चिलचीपुर	100	कच्चीखेड़ी	72	42
163	चिलचीपुर	105	मैनाखेड़ी	72	35
163	चिलचीपुर	137	पीपल्दा	50	29
163	चिलचीपुर	151	काल्याखेड़ी	55	22
163	चिलचीपुर	157	तमोलिया	67	44
163	चिलचीपुर	162	खनकारी	48	31
163	चिलचीपुर	171	नंदनी जागीर	89	44
163	चिलचीपुर	230	डौलाज	80	24
163	चिलचीपुर	277	भैरवखेड़ी	64	15
163	चिलचीपुर	280	लक्ष्मणपुरा	46	11
169	कालापीपल	5	बिशनखेड़ी	64	31
169	कालापीपल	30	खरदोन कलां	51	34

चाक-चौबंद हो कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नामुमकिन हो जाये। वहीं ईवीएम को भरोसे की चीज समझने वाले कहते हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव में सचमुच ही कोई फर्जीवाड़ा हुआ हो तो उसका कोई ठोस प्रमाण दीजिए। कुछ माह पहले हुई इंडिया

विधानसभा नंबर	विधानसभा क्षेत्र	बूथ नंबर	बूथ का नाम/गांव	पिछली बार मिले न्यूनतम वोट प्रतिशत	कांग्रेस को 2023 में मिले वोट प्रतिशत
169	कालापीपल	40	बहरावल	58	38
169	कालापीपल	41	बहरावल	54	25
169	कालापीपल	42	बहरावल	58	35
169	कालापीपल	43	बहरावल	53	33
169	कालापीपल	53	पानखेड़ी	81	46
169	कालापीपल	56	सदनखेड़ी	54	29
169	कालापीपल	86	कांकड़खेड़ा	65	38
169	कालापीपल	101	भारडी	60	40
169	कालापीपल	130	हदलाय खुर्द	50	29
169	कालापीपल	131	कनाड़िया	62	45
169	कालापीपल	208	बंजारी बड़ोदिया	57	14
169	कालापीपल	224	तिलावद मैना	61	7
178	पंधाना	120	भैरूखेड़ी	63	46.71
178	पंधाना	244	पीपलोद दरवास	69	42.86
178	पंधाना	248	बेलवाड़ा	67	46.01
178	पंधाना	266	राजगढ़ सिंगोट	76	41.39
206	इंदौर-3	3	अहिल्यापल्टन	49	20.35
206	इंदौर-3	6	अहिल्यापल्टन	63	43.90
206	इंदौर-3	189	मुराई मुहल्ला	67	45.06
206	इंदौर-3	190	मुराई मुहल्ला	65	38.97
229	नीमच	244	जीरन	70	42.05
229	नीमच	245	जीरन	58	39.61
146-	कुरवाई	26			
161-	बयावरा	56			
163-	खिलचीपुर	76			
169-	कालापीपल	109			
162-	राजगढ़	110			
221-	गरोठ	111			

प्वाइंट नंबर -4

पिछले 3-4 सालों में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने विधानसभा वार ब्लॉक, मंडल और सेक्टर कमेटी बनाई थी। कांग्रेस द्वारा इन कार्यकर्ताओं को वहां पदस्थ कर चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई है जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

1-मंडल- 4930 (एक मंडल में 12-15 बूथ आते हैं)।

2-सेक्टर- 13,573 (एक सेक्टर में 3-7 बूथ आते हैं)।

3-बीएलए- 63,680 (चुनाव आयोग द्वारा नोटिफाइड किए गए हैं)।

गठबंधन की बैठक से ईवीएम की बहस फिर से राष्ट्रीय एधेंडे पर आ गई है। हालांकि बैठक के सर्वसम्मत प्रस्ताव में कांग्रेस की हार के लिए सीधे-सीधे ईवीएम को दोष नहीं दिया गया लेकिन प्रस्ताव में गंभीर चिंता के स्वर में कहा गया है कि ईवीएम की

कांग्रेस द्वारा इन सभी पदाधिकारी के व्यापक चर्चा के बाद एक निष्कर्ष यह भी निकला कि जो नतीजा आया है वैसा आ ही नहीं सकता था। निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ी हुई है। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा डाटा देने पर कहा कि इस डाटा को निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिफाईड भी किया गया था।

प्वाइंट नंबर -5

पोस्टल बैलेट- ईवीएम की तुलना में पोस्टल बैलेट का काउंट काफी ज्यादा था।

मध्य प्रदेश 2023 चुनावी नतीजे, पोस्टल बैलेट की वोट संख्या

कांग्रेस 200 सीटों में आगे कुल वोट शेयर 57 प्रतिशत

भाजपा 30 सीटों में आगे कुल वोट शेयर 36 प्रतिशत

2023 चुनावी नतीजे

कांग्रेस 66 सीट कुल वोट शेयर 40.4 प्रतिशत

भाजपा 163 सीट कुल वोट शेयर 48.6 प्रतिशत

क्या ईवीएम मशीन 21वी सदी का सबसे बड़ा स्कैम है?

राजनीति में हार जीत लगी रहती है पर ईवीएम पर उठते सवाल से लगता है कि 21वीं सदी का शायद यह सबसे बड़ा स्कैम है। यह गंभीर इसलिए भी है क्योंकि सीधे सीधे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को ही उल्टा किया जा रहा है। अभी खत्म हुए मध्य प्रदेश में चुनावों में चुनाव आयोग और ईवीएम पर संदेह जाता है। इसके कारण निम्न हैं-

- इस बार पहली बार पोस्टल बैलेट में वृद्ध, दिव्यांग एवं निशक्तजन को शामिल करने पर करीब-करीब प्रदेश में 04 लाख वोटर्स सीधे सीधे बढ़ गए थे।
- पोस्टल बैलेट में भाजपा को 30 प्रतिशत वोटों के साथ करीब 30 सीटों में बढ़त मिली। वहीं कांग्रेस को 57 प्रतिशत वोटों के साथ 200 सीटों पर बढ़त मिली। इन पोस्ट बैलेट में भी प्रदेश की लाडली बहना, वृद्ध शामिल थे फिर ईवीएम की काउटिंग के बाद एकदम से जनता का मूड कैसे बदल सकता है, इस कारण ईवीएम पर बड़ा संदेह जाता है।
- ईवीएम में वीवीपैट के बाद अब वह सॉफ्टवेयर से चलने वाली मशीन बन गई है। चुनाव आयोग पार्टी की सीक्वेंस के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हर वीएस लेवल पर करती है। चुनाव आयोग ईवीएम, वीवीपैट, एसएलयू सॉफ्टवेयर और इनकी सोर्स कोडिंग किसके द्वारा की गई है। इसकी जानकारी ना तो राजनीतिक दल को देती हैं, ना ही इसका कभी ऑडिट किया जाता है।
- एक बड़ा सवाल फार्म 17 और वीवीपैट की सील को लेकर है। दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद पोलिंग एजेंट फार्म- 17 में बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का यूनिक नंबर डालते हैं। जबकि चुनाव बाद की गहमा गहमी में कई बार यह प्रक्रिया कागजी तौर पर बाद में किया गया था। इसके साथ 05 ईवीएम मशीन की गिनती शामिल रही हैं। पोलिंग एजेंट को हरा कागज़ सील करने को दिया जाता है, जिसमें सिर्फ कंट्रोल यूनिट को सील गया जाता है और वीवीपैट को सील नहीं किया जाता है।
- इस बार के राज्य चुनावों में देखा गया कि मतगणना में जिस मशीन का ईयू बैटरी 99 प्रतिशत दिखाया है, वहां कांग्रेस पार्टी हार गई है, जबकि व्यवहारिक तौर पर यह असंभव है कि एक बैटरी मतदान के बाद 15-16 दिन बाद भी 99 प्रतिशत कैसे रह सकती है।
- चुनाव आयोग ने इस बार मध्यप्रदेश चुनावों में बेहिसाब वायरलेस सीसीटीवी कैमरा लगवाए जिसमें एक सिम डली रहती है, इसके लिए 2-3 वेंडर को यह काम दिया गया। इन वीडियो रिकार्डिंग का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने क्या किया। राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी साझा नही की गई। साथ-साथ कैमरा और ईवीएम को इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। बावजूद इसके चुनाव में जानबूझकर यह काम किया था। उपरोक्त सभी बिंदुओं से ऐसा लगता है कि साफ्टवेयर की एल्गोरिथम बदलकर चुनावों का परिणाम बदलने का प्रयास किया जा सकता है और अगर ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग अमेरिका जैसा पैटर्न क्यों नहीं अपनाता। जहां वीवीपैट से अपनी पर्ची निकलने के बाद मतदाता उस पर्ची को अपने हाथों बैलेट बाक्स में डालता है।

कार्यप्रणाली की ईमानदारी को लेकर अनेक संदेह हैं। कई विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भी ईवीएम की कार्यप्रणाली पर उंगली उठायी है। इंडिया गठबंधन ने इससे अलग प्रस्ताव किया है कि वोटर वेरीफाइड पेपर-ऑडिट ट्रायल स्लिप यानी मतदाता द्वारा सत्यापित

मतपर्ची (VVPAT) को निर्धारित बक्से में गिराने की जगह उसे मतदाता के ही हाथों में सौंप दिया जाये और फिर मतदाता खुद ही पर्ची में ये देखकर कि उसका वोट उसके मनपसंद उम्मीदवार को ही गया है, मत-पर्ची अलग से रखी हुई मतपेटी में गिरा दे।

बीजेपी हारी तो ईवीएम की वैधता या विश्वसनीयता पर किया था सवाल

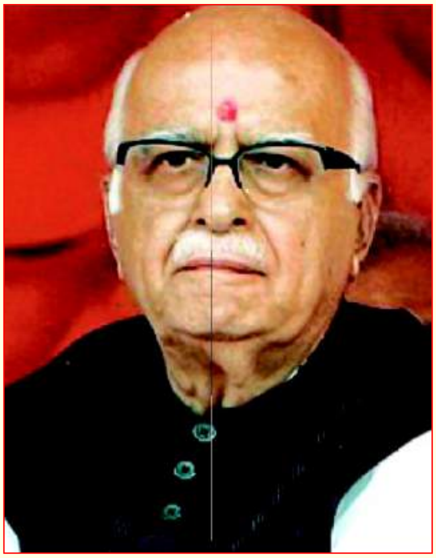

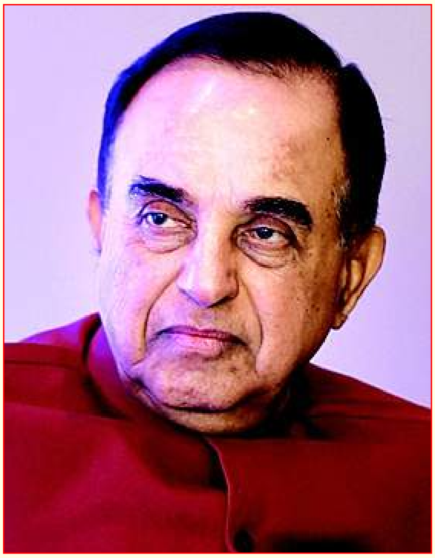

ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में लगभग सारी प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। साल 2009 में बीजेपी ने मशीन की वैधता पर सवाल उठाया। तब उसे चुनाव में करारी हार मिली थी। इसके बाद 2014 में कांग्रेस ने भी इसे कम भरोसेमंद करार दिया था। पार्टियों का मानना है कि चूंकि ईवीएम मशीन ही है, लिहाजा इससे छेड़छाड़ संभव है। इस पर बाकायदा एक किताब भी लिखी जा चुकी है- 'डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट अवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की बातों के बीच और राजनैतिक दलों की मांग की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ ईवीएम लागू किया।

भाजपा ने 2009 में विरोध किया

भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है, लेकिन वह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर-शोर से विरोध करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के ज़रिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। लेकिन आज जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया है वो आज चुप हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसका विरोध किया और अब दूसरों के विरोध को खारिज कर रहे हैं। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राण नाथ लेखी (बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता) ने 2004 में ही उठाया था।

VVPAT के रूप में एकत्र की गई शत-प्रतिशत पर्ची की गिनती इसके बाद की जाये। ईवीएम की कार्यप्रणाली की ईमानदारी को लेकर शंका का माहौल अक्सर ही गर्म रहता आया है। बेशक ईवीएम में मनमुताबिक छेड़छाड़ की बात पर

किन-किन देशों में ईवीएम पर लग चुकी है रोक

साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर बैन लगा दिया था। दुनिया के कई देशों ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बैन लगा रखा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था। लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने लगे। साल 2006 में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर बैन लगा दिया। साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया। नतीजों को बदले जाने की आशंका को लेकर इटली ने भी ईवीएम पर बैन लगा दिया था। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका के कई राज्यों में भी बिना पेपर ट्रोल वाली ईवीएम मशीन पर बैन है।

एक एस्टीमेट के अनुसार 31 देशों में ईवीएम पर स्टडी करने के बाद पता चला कि इनमें केवल 04 ही ऐसे देश हैं जहां ईवीएम का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। 11 देशों में ईवीएम का इस्तेमाल कुछ ही हिस्सों और छोटे चुनावों के लिए किया जाता है। 5 देशों में ईवीएम का प्रयोग पायलट बेसिस पर किया जाता है। 03 देशों ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है और 11 देश जहां ईवीएम का इस्तेमाल पायलट बेसिस पर किया जाता है वहां भी ईवीएम को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इंग्लैंड, इटली, जर्मनी ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके कारण क्या थे? ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल की आवश्यकता को दुनिया भर में स्वीकार किया गया है। कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू की गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चुनावों की सुरक्षा, सटीकता, विश्वसनीयता और सत्यनीयता के बारे में जल्द ही गंभीर संदेह उठाए गए।

दुनिया की वोटिंग मशीनों का हाल- दुनिया में लगभग 33 देश किसी न किसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उन मशीनों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं। वेनेजुएला में साल 2017 के चुनावों में डाले गए मतों की कुल संख्या कथित रूप से असली संख्या से दस लाख ज्यादा निकली। हालांकि सरकार इसका खंडन करती है। अर्जेंटीना के राजनेताओं ने इसी साल मतों की गोपनीयता और नतीजों में छेड़छाड़ की आशंकाएं जताते हुए ई-वोटिंग कराने की योजना से किनारा कर लिया है। ईराक में साल 2018 में हुए चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की ख़बरों के बाद मतों की आंशिक गिनती दोबारा करवाई गई थी।

अमरीकी हैकर का दावा- अमरीका स्थित एक हैकर ने दावा किया कि साल 2014 के चुनाव में मशीनों को हैक किया गया था। इस चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि, भारतीय चुनाव आयोग ने इन दावों का खंडन किया है। लेकिन इन मशीनों में तकनीक के इस्तेमाल को लेकर आशंकाएं ज़ाहिर की गई हैं। भारत की अलग-अलग अदालतों में इस मुद्दे पर कम से कम सात मामले चल रहे हैं।

भारत के चुनाव में 16 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल होती हैं- भारत के चुनाव में 16 लाख ईवीएम मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं और ऐसी हर एक मशीन में अधिकतम 2000 मत डाले जाते हैं। किसी भी मतदान केंद्र पर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1500 और उम्मीदवारों की संख्या भी 64 से ज्यादा नहीं होती है। भारत में बनीं ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। ये मशीनें उन इलाक़ों में भी चल सकती हैं जहां

यकीन करने की कई वजहें हैं।

साल 2006 में ममता बनर्जी ने अपनी हार का ठीकरा जब ईवीएम के मत्थे फोड़ा था। साल 2014 में बीजेपी को मिली बड़ी और आश्चर्यचकित करती जीत के बाद तब भी ईवीएम को लेकर शंकाएं जाहिर की गई

बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इन मशीनों के साफ्टवेयर को एक सरकारी कंपनी से जुड़े डिज़ायनरों ने बनाया था। चुनाव आयोग के मुताबिक ये मशीनें और इनमें दर्ज रिकार्ड को किसी भी बाहरी समूह के साथ साझा नहीं किया जाता है, जिससे एक संशय की स्थिति है।

क्या हैकिंग संभव है?

चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा करता आया है। लेकिन समय-समय पर इन मशीनों के हैक होने की आशंकाएं सामने आती रही हैं। आठ साल पहले, अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है।

सुरक्षा की ये हैं कोशिशें- ईवीएम के जरिए होने वाले मतदान को सुरक्षित बनाने के लिए कोर्ट ने कई तरीके अपनाए। जैसे कई लोगों के बीच पोलिंग अधिकारी इस मशीन को सील करता है और उसके बाद भी और सीलबंदी होती है, जिसके बाद सुरक्षा घेरे में मशीन मतगणना की जगह लाई जाती है। इसके बाद भी ईवीएम के पूरी तरह प्रामाणिक होने का दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि वोट देने के बाद मतदाता को सिर्फ बीप की आवाज सुनाई देती है और ये पता नहीं लगता कि उसका वोट किसे गया है। यही वजह है कि सुविधा के लिए वोटिंग मशीन का उपयोग तो रहा है लेकिन समय-समय पर पार्टियां और गैर-सरकारी दल भी इस पर सवाल उठाते रहते हैं।

थी। ईवीएम को लेकर शंका करने के पीछे जो मान्यताएं हैं, वे गलत नहीं हैं। इसमें पहला है मशीन को लेकर प्रचलित अविश्वास। इसी कारण उसकी कार्यप्रणाली के साथ छेड़छाड़ भी की जा सकती है।

ईवीएम पर साल-दर-साल उठते सवाल

भारत में कई राजनेताओं ने कई बार ईवीएम की साख पर सवाल उठाए हैं। साल 2009 के आम चुनाव के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के संस्थापकों में से एक लालकृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ईवीएम के साथ-साथ पेपर ट्रेल्स के उपयोग का सुझाव दिया था। यही नहीं, भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम पर किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था 'लोकतंत्र ख़तरे में ! क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? इसके आलावा भाजपा के राज्यसभा से सांसद और पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने भी साल 2012 में ईवीएम पर सवाल उठाए थे। उत्तरप्रदेश के चुनावी नतीजे के तुरंत बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी ईवीएम की भूमिका पर सवाल उठाए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं तो उसकी जांच कराई जानी चाहिए। पंजाब विधानसभा के नतीजों पर आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। 2009 के आम चुनावों में जब बीजेपी के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, ठीक उसी वक्त ओडिशा कांग्रेस के नेता जेबी पटनायक ने भी राज्य विधानसभा में बीजू जनता दल की जीत की वजह ईवीएम को ठहराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री तरूण गोगोई ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहा था कि बीजेपी की जीत की वजह ईवीएम है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ईवीएम का विरोध किया हैं। ये दोनों नेता ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि जब देश कि लगभग हर पार्टी के बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठा चुके है तो चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर इतना हठधर्मी क्यों है?

इंडिया फोरम पर प्रकाशित एक शानदार लेख में कन्नन गोपीनाथन ने दिखलाया है कि वीवीपेट के चलन से चुनावी धांधलियों की संभावना में कमी नहीं आयी बल्कि बढ़ोत्तरी ही हुई है। आज शायद ही किसी को भ्रम हो कि देश में चुनावों पर निगरानी रखने की यह संस्था सत्ताधारी पार्टी की ओर से होने वाली किसी नाजायज मांग को ठुकरायेगी। ईसीआई ने मसले को सुलझाने में मदद नहीं की है। ईवीएम को लेकर जो भी गंभीर सवाल उठे हैं उनका जवाब देने की जगह इस संस्था ने मुंह फेरा है। मान्यताओं से यही साबित होता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका वास्तविक है, काल्पनिक नहीं।

विपक्ष का दावा : ईवीएम का हो रहा घेराव
विपक्ष की दलीलों को सत्ता पक्ष कर रहा खारिज

मध्यप्रदेश में हुए हाल के विधानसभा चुनाव का ही उदाहरण लीजिए। इस चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे, जैसा कि कई दफे चुनावी नतीजे के साथ होता है।

ईवीएम में गड़बड़ी के कुछ उदाहरण....

निर्दलीय प्रत्याशी को खुद का वोट भी नहीं मिला

यूपी निकाय चुनाव में सहारनपुर में निर्दलीय महिला प्रत्याशी को एक भी वोट नहीं मिला था। रिजल्ट आने पर प्रत्याशी ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे संभव है मेरा वोट भी मुझे नहीं मिला। कम से कम मेरे और मेरे परिवार को वोट तो मिलना था। इससे पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। सहारनपुर के वार्ड नंबर 54 से पार्षद प्रत्याशी शबाना को काउंटिंग में पता चला कि उन्हें बूथ नंबर 387 और 388 पर एक भी वोट नहीं मिला है। इस पर शबाना ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मेरा वोट भी मुझे नहीं मिला।

बटन दबाया तो वोट गया बीजेपी को

मध्यप्रदेश के भिंड जिले के अटेर में ईवीएम मशीन के डेमो के दौरान किसी भी बटन को दबाने पर वीवीपैट पर्चा भारतीय जनता पार्टी का निकलने के बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया गया। इस मामले की जांच करने पहुंची चुनाव आयोग की टीम ने भी मशीन में खराबी पाई है। भोपाल में मीडिया के सामने इन अधिकारियों ने ये भी बताया था कि इस मशीन का इस्तेमाल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कानपुर में किया गया था।

शिवपुरी में स्ट्रांग रूम के स्थान पर कब्रिस्तान पहुंचीं ईवीएम

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान तो शांतिपूर्ण हो गया लेकिन मतदान सामग्री जमा कराने के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। पोहरी विधानसभा के गोपालपुर क्षेत्र का सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवपुरी में कब्रिस्तान के पास दो ईवीएम के साथ पाया गया।

मध्यप्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15 हजार शिकायतें

निर्वाचन सदन में चुनावी संबंधी शिकायतों का अंबार लगा है। आयोग के पास 15 हजार से ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। इनमें 11240 शिकायतें सी-विजिल ऐप के जरिए पहुंचीं। सबसे ज्यादा शिकायतें आयोग के समक्ष ग्वालियर-चंबल इलाके से की गई। इनमें ज्यादातर शिकायतें मतदान वाले दिन ईवीएम संचालन में गड़बड़ी और स्ट्रॉन्ग रूम से जुड़ी हुई थी।

सियासी आसमान का मिजाज भांपने वाले किसी भी पर्यवेक्षक, पत्रकार या जनमत-सर्वेक्षण (सिर्फ एक दो एक्जिट-पोल को छोड़कर) को ये अनुमान नहीं था कि बीजेपी 08 प्रतिशत वोटों के बड़े अंतर से जीतने जा रही है। प्रदेश का व्यापक दौरा करने वाले कई लोगों की तरह मुझे भी मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। मुझे अब भी लगता है

कि मध्यप्रदेश के चुनाव में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लेकिन इसे सबूत तो नहीं कह सकते। कांग्रेस ने अंगुली उठायी है कि पोस्टल-बैलेट और ईवीएम की वोट गणना के आंकड़ों के बीच मेल नहीं है। बेशक, इसे विचित्र कहा जा सकता है

RTI से उठा ईवीएम पर सवाल-कहां गायब हो गई थी 19 लाख मशीनें

यह 2018 का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की खरीदारी में बड़ी धांधली उजागर हुई थी। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ईवीएम सप्लाई करने वाली दो कंपनियों और चुनाव आयोग के आंकड़ों में बड़ी असमानता सामने आई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने जितनी मशीनों की आपूर्ति की और चुनाव आयोग को जितनी मशीनें मिली उनमें करीब 19 लाख का अंतर था। चुनाव आयोग दो सार्वजनिक क्षेत्र के ईवीएम आपूर्तिकर्ताओं इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), बेंगलुरु से ईवीएम खरीदता है। हालांकि दोनों कंपनियों और ईसी द्वारा RTI में दिए गए आंकड़े में बड़ा अंतर सामने आया था। यह आरटीआई मुंबई के एस रॉय ने लगाई थी। इसके जवाब में जो जानकारी उन्हें मिली उसमें ईवीएम की खरीद-फरोख्त में गंभीर बेमेल देखने को मिला है, इससे पता चलता है कि यह एक बड़ी गुत्थी है, जो उलझती जा रही है। रॉय ने बताया था कि 1989-1990 से 2014-2015 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें बीईएल से 10 लाख 05 हजार 662 EVM प्राप्त हुए। वहीं बीईएल का कहना है कि उसने 19 लाख 69 हजार 932 मशीनों की आपूर्ति की। दोनों के आंकड़ों में 9 लाख 64 हजार 270 का अंतर है। ठीक यही स्थिति ECIL के साथ भी रही, जिसने 1989 से 1990 और 2016 से 2017 के बीच 19 लाख 44 हजार 593 ईवीएम की आपूर्ति की। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें केवल 10 लाख 14 हजार 644 मशीनें ही प्राप्त हुईं। यहां 9 लाख 29 हजार 949 का अंतर रहा। ईवीएम पर खर्च के आंकड़ों में भी बड़ा अंतर पहले की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयोग के अनुसार, BEL से ईवीएम की खरीद पर 536.02 करोड़ रुपये का कुल खर्च हुआ है, जबकि BEL ने कहा कि उन्हें 652.56 करोड़ रुपये मिले हैं। यहां ईवीएम के खर्च में भी बड़ा अंतर है। ईसीआईएल से ईवीएम मंगाने पर चुनाव आयोग के खर्च की जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि ईसीआईएल ने बताया कि उसने 2013-2017 से 2013-2014 के बीच किसी भी राज्य में एक भी ईवीएम की आपूर्ति नहीं की थी। फिर भी ईसीआईएल को चुनाव आयोग के माध्यम से मार्च से अक्टूबर 2012 के बीच महाराष्ट्र सरकार से 50.64 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। रॉय का सवाल है कि आखिरकार ईवीएम की दो कंपनियों से मिले आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर क्यों है। बीईएल और ईसीआईएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त मशीनें वास्तव में कहां गईं? यह गड़बड़ी ईवीएम पर हुए खर्च में मिली है। पुरानी ईवीएम नष्ट करने के सवाल भी स्पष्ट नहीं है। 21 जुलाई, 2017 को चुनाव आयोग ने कहा कि उसने कोई भी ईवीएम रद्दी में नहीं बेचा है। वहीं, ऐसा माना जाता है कि 1989-1990 की ईवीएम को निर्माताओं द्वारा स्वयं नष्ट कर दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि 2000-2005 के बीच उन्हें मिली (पुरानी/खराब/अपूर्ण) ईवीएम को नष्ट करने की प्रक्रिया अभी भी विचाराधीन है। यानी इससे साफ होता है कि सभी मशीनें अब भी चुनाव आयोग के कब्जे में हैं।

लेकिन अभूतपूर्व कतई नहीं। छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के वोट शेयर में आई कमी और बीजेपी के वोट शेयर में लगभग उसी अनुपात में हुई बढ़ोत्तरी का तथ्य भी विचित्र कहा जायेगा। यह जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की बनती है।

चुनाव को लेकर लोगों में भरोसे की भारी कमी है

- सेम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज के प्रमुख

लोकसभा चुनाव में मतपत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात पर बहस करने का समय खत्म हो गया है कि ईवीएम हैक हो सकती या नहीं। चुनाव आयोग ने ईवीएम और वीवीपैट पर उठाये सवालों का जवाब नहीं दिया है। अब जल्द ही लोकसभा का चुनाव होने वाले हैं इसलिए अब इन मुददों पर बहस करने का समय चला गया है। चुनाव को लेकर लोगों में भरोसे की भारी कमी है। भरोसे की भारी कमी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयोग क्या सोचता है जो मायने रखता है कि भारत के लोग क्या सोचते हैं। मेरे अनुसार एक मात्र विकल्प वैलेट पेपर ही बचा है। मैं कांग्रेस की ओर से नहीं बल्कि एक चिंतित नागरिक की ओर से कहा रहा हूं।

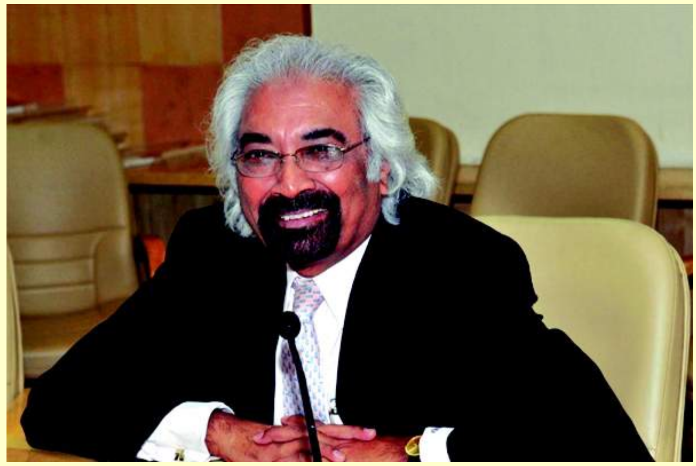

खुलकर कहें तो आयोग मसले पर विश्वास बहाल करने के मामले में फिसड्डी रहा, ना तो जायज प्रतीत होने वाले सवालों का आयोग ने जवाब देने की कोशिश की है, ना ही सही सुझावों पर अमल करने के प्रयास किया। आयोग की बस एक ही कहना है कि ईवीएम अपने आप में एक सही मशीन है जिसे सीधे-सीधे या फिर घुमा फिराकर चाहे जैसी भी कोशिश कर लो मगर अन्य किसी बाहरी उपकरण से जोड़ा नहीं जा सकता। ईवीएम के समर्थन में तर्क दिया जाता है कि भारत के चुनावों में इस्तेमाल हो रहे EVM's में इंटरनेट, ब्लू टूथ के जरिए छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसको दूसरी मशीनों से अलग रखा जाता है। इन मशीनों में अब VVPAT का भी इंतजाम किया गया है। बता दें कि ईवीएम पर उठ रहे इन सवालों से पहले भी कई बार देश में ईवीएम पर विवाद हो चुका है।

ईवीएम हैकिंग को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट के दावे के बाद भारतीय राजनीति

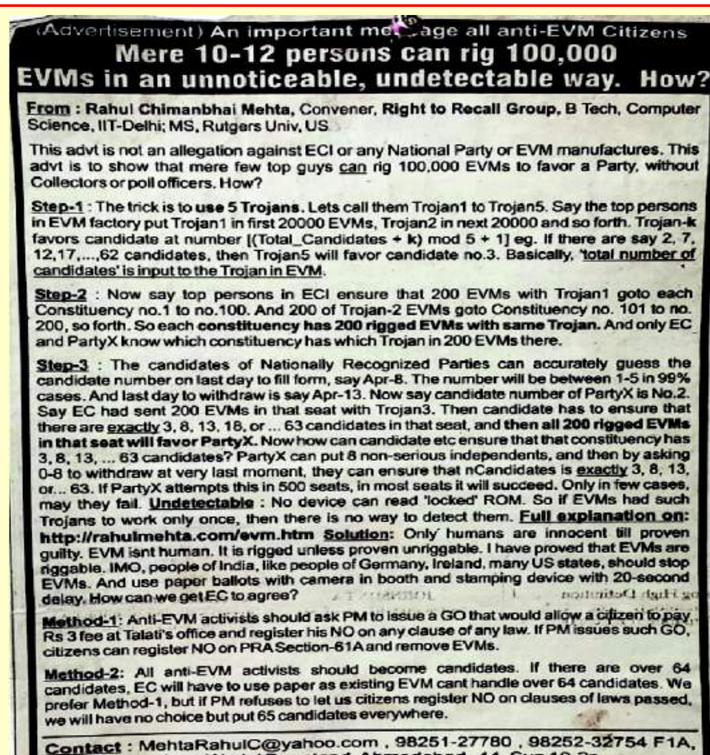

(Advertisement) An important message all anti-EVM Citizens

Mere 10-12 persons can rig 100,000 EVMs in an unnoticeable, undetectable way. How?

From : **Rahul Chimanbhai Mehta,** Convener, **Right to Recall Group,** B Tech, Computer Science, IIT-Delhi; MS, Rutgers Univ, US

This advt is not an allegation against ECI or any National Party or EVM manufactures. This advt is to show that mere few top guys can rig 100,000 EVMs to favor a Party, without Collectors or poll officers. How?

Step-1 : The trick is to **use 5 Trojans.** Lets call them Trojan1 to Trojan5. Say the top persons in EVM factory put Trojan1 in first 20000 EVMs, Trojan2 in next 20000 and so forth. Trojan-k favors candidate at number [(Total_Candidates + k) mod 5 + 1] eg. If there are say 2, 7, 12,17,...,62 candidates, then Trojan5 will favor candidate no.3. Basically, 'total number of candidates' is input to the Trojan in EVM.

Step-2 : Now say top persons in ECI ensure that 200 EVMs with Trojan1 goto each Constituency no.1 to no.100. And 200 of Trojan-2 EVMs goto Constituency no. 101 to no. 200, so forth. So each **constituency has 200 rigged EVMs with same Trojan.** And only EC and PartyX know which constituency has which Trojan in 200 EVMs there.

Step-3 : The candidates of Nationally Recognized Parties can accurately guess the candidate number on last day to fill form, say Apr-8. The number will be between 1-5 in 99% cases. And last day to withdraw is say Apr-13. Now say candidate number of PartyX is No.2. Say EC had sent 200 EVMs in that seat with Trojan3. Then candidate has to ensure that there are exactly 3, 8, 13, 18, or ... 63 candidates in that seat, and **then all 200 rigged EVMs in that seat will favor PartyX.** Now how can candidate etc ensure that that constituency has 3, 8, 13, ... 63 candidates? PartyX can put 8 non-serious independents, and then by asking 0-8 to withdraw at very last moment, they can ensure that nCandidates is exactly 3, 8, 13, or... 63. If PartyX attempts this in 500 seats, in most seats it will succeed. Only in few cases, may they fail. **Undetectable** : No device can read 'locked' ROM. So if EVMs had such Trojans to work only once, then there is no way to detect them. **Full explanation on: http://rahulmehta.com/evm.htm** **Solution**: Only humans are innocent till proven guilty. EVM isnt human. It is rigged unless proven unriggable. I have proved that EVMs are riggable. IMO, people of India, like people of Germany, Ireland, many US states, should stop EVMs. And use paper ballots with camera in booth and stamping device with 20-second delay. How can we get EC to agree?

Method-1: Anti-EVM activists should ask PM to issue a GO that would allow a citizen to pay Rs 3 fee at Talati's office and register his NO on any clause of any law. If PM issues such GO, citizens can register NO on PRA Section-61A and remove EVMs.

Method-2: All anti-EVM activists should become candidates. If there are over 64 candidates, EC will have to use paper as existing EVM cant handle over 64 candidates. We prefer Method-1, but if PM refuses to let us citizens register NO on clauses of laws passed, we will have no choice but put 65 candidates everywhere.

Contact : MehtaRahulC@yahoo.com , 98251-27780 , 98252-32754 F1A, Supath-2, nr Juna Wadaj Bus stand, Ahmedabad - 14, Sun 10-2p

इंडियन एक्सप्रेस मुम्बई 31 जुलाई 2009 में छपा ईवीएम के खिलाफ एक विज्ञापन

देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को सरकारी पंजे से मुक्त करना चाहिए

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल भारत सरकार का एक उपक्रम है। चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम मशीन का उत्पादन, आपूर्ति, इसके साथ ही ईवीएम में लगी चिप में इनक्रिप्टेड कोड/साफ्टवेयर की जिम्मेदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल की ही होती है। इसका सीधा सीधा मतलब है की बीईएल और ईसीआईएल में अंदरूनी सेटिंग कर चुनाव हारा या जीता जा सकता है। चुनाव आयोग को अगर चुनावों में पारदर्शिता लानी है तो दोनो कंपनियों में भी बदलाव करना चाहिए। सरकारी उपक्रम में सीएमडी पद, निदेशक पद, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बोर्ड द्वारा चुना जाता है। जो की भारत सरकार के अधीन है साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल के बोर्ड के इंडिपेंडेंट निदेशकों में जो लोग है वो भाजपा से संबंधित है। ऐसे में जिस कंपनी को पूरा बोर्ड जब सरकार से चुना या उसका भाग है ऐसे में ईवीएम में छेड़छाड़ किया जाए या इसकी साफ्टवेयर के कोड बाहर निकल जाए ये भी संभावित बहुत अधिक है। ऐसे में चुनाव आयोग को खासतौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल पर सरकारी नियंत्रण खत्म कर एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे गड़बड़ी की कोई अंदेशा ही ना रहे। इस संबंध में भारत सरकार में पूर्व सेकेट्री ईवीएस सरमा ने मुख्य चुनाव आयुक्तको पत्र लिखा जो की निम्नलिखित हैं :-

Here is the letter sent by Mr Sarma to ECI…

To
Shri Rajiv Kumar
Chief Election Commissioner
Election Commission of India (ECI)

Shri A C Pandey
Election Commissioner
Election Commission of India (ECI)

Shri Arun Goel
Election Commissioner
Election Commission of India (ECI)

Dear S/Shri Rajiv Kumar/ Pandey/ Goel,

I refer to my letter of January 26, 2024 (accessible at Can BJP's Office-bearers Run the Affairs of Bharat Electronics, which Makes EVMs, Asks EAS Sarma) on how the BJP has loaded the Boards of both Bharat Electronics Ltd (BEL) and the Electronics Corporation of India Ltd (ECIL) with its nominees and how it has cast a shadow on the credibility of the use of Electronic Voting Machines (EVMs) manufactured and supplied by those two CPSEs.
Though I had cautioned the Commission as early as 23-3-2023 on this and, once again, reminded it on 26-1-2024, I find that the Commission has failed to invoke its authority under Article 324 and direct the Government to withdraw the BJP nominees from BEL's and ECIL's Boards. The Commission is either insensitive to the conflict of interest that is explicitly evident or is reluctant to displease the political executive, which in my view amounts to allowing the ruling political party brazenly to tilt the level playing ground among the political parties to the

में भी एक बार फिर भूचाल आ गया है। देश की दोनों ही बड़ी पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर भारत की राजनीति में बहस हो रही हो। जब-जब चुनाव होते हैं तब-तब ईवीएम को लेकर सवाल किए जाते हैं। इन सबके बीच यह भी जनना बेहद जरूरी है कि आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश आखिर ईवीएम से क्यों दूरी

detriment of the public interest. How can the Commission discharge its Constitutional responsibility of conducting elections in a free and fair manner?

As I have pointed out time and again, EVM technology as it is the case today is not only vulnerable to manipulation but also violates the secrecy of voting to the extent of its inability to permit the "mixing" of booth-wise ballots within a constituency, since it does not use totalisers. In my view, this is a serious legal infringement.

As far as the vulnerability of EVMs to manipulation is concerned, I invite your attention to the expert opinion offered by Madhav Deshpande, a professional who has studied the EVM system in depth, when he appeared in a video interview with Karan Thapar. I would earnestly advise the Commission to invite Madhav Deshpande to appreciate his concerns and to adopt the remedial measures suggested by him.

Briefly, the EVM system consists of a Ballot unit, a VVPAT unit and a Control unit. Since the system is a stand-alone one, it may be difficult to "hack" it. However, since the Ballot unit is connected to the Control unit via the VVPAT unit, the voter is never sure whether the vote cast by him/her has been correctly conveyed by the VVPAT unit to the Control Unit which determines the final vote count. If the sequencing of these units is changed such that the Ballot Unit conveys the vote simultaneously to the VVPAT and Control units where the electronically transmitted vote is to be registered and counted, this issue could be resolved to some extent. If it is not changed thus, there is no certainty that the vote cast through the Ballot unit is correctly conveyed by the VVPAT unit to the Control Unit.

While the Ballot unit and the Control unit are randomised and therefore independent of the location wherever they are used, the VVPAT unit is location-specific, as constituency-wise, candidate-wise information is uploaded into it a few days before it is deployed. To that extent, it depends on the data fed into it and the format in which it is fed. Though only authorised persons are allowed to attend to this, since it is a manual operation, even without the knowledge of the authorised persons, the format in which the data is uploaded into the VVPAT unit may leave room for manipulation. Such manipulation may result in the VVPAT unit conveying the vote cast in favour of one candidate to another candidate unless the process of feeding the data module into the VVPAT unit is subject to independent expert oversight and surveillance by all political parties. The absence of such independent surveillance makes the system vulnerable to manipulation.

A mere 100% cross-verification of the electronic votes counted vis-a-vis the VVPAT count may not fully address this issue. It calls for a far more verification process than that.

As explained by Madhav Deshpande, the next possibility of manipulation arises in the absence of "pairing" of the VVPAT units with the corresponding Control units through a connecting cable and a secure unique electronic key so that once a Control unit registers the votes cast, it cannot be replaced by another one to manipulate the vote count. If a Control unit is replaced after votes are registered but before counting starts, if the VVPAT and Control units are electronically "paired" and can recognise each other, it will not allow the newly introduced Control unit to recognise the VVPAT unit which has registered the votes. At present, in the absence of such a serial connection and the absence of electronically secured "pairing", there is a clear possibility of manipulation.

Finally, in the present arrangement, it is not possible to track a Control unit once votes are registered by it. It is necessary to ensure traceability of a Control unit which has registered the votes cast, so that those who undertake counting or those overseeing it may readily know if it is moved to a different location unauthorisedly to permit manipulation. To permit traceability, the Control Unit needs to be "geo-tagged" without the necessity of

बनाकर चलता है। सालों तक भारत में बैलेट पेपर से वोटिंग होती रही। इसमें वोटों की गिनती में लंबा वक्त लगता था। इसे देखते हुए साल 1989 में इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की मदद से सरकार ने ईवीएम निर्माण की शुरूआत की। ईवीएम कभी भी विवादों से परे नहीं रहा। भारत में इसकी शुरुआत नवंबर 1998 में हुई। 16 विधानसभा चुनावों में

the Control unit itself being connected to the internet. The geo-tag can be sealed so that no one may tamper with it.

What Madhav Deshpande has so clearly explained calls for the following:

1. A rearrangement of the configuration such that the Ballot Unit may convey information on votes cast simultaneously to the Control Unit and the VVPAT Unit directly

2. Subject uploading of Constituency-wise, and candidate-wise data and its format into the VVPAT unit to an independent technical audit under scrutiny by all political parties

3. Ensure "pairing" of the VVPAT and Control Units before they are connected for voting through a secure unique electronic coupling arrangement and subject that process to scrutiny by all political parties

4. Geo-tag each Control unit under a seal to prevent their unauthorised movement, once again subject to independent technical audit and scrutiny by all political parties

The above measures are urgently called for and I hope that the Commission will implement them.

I suggest that the Commission invite Madhav Deshpande to explain the "gaps" and "holes" in the EVM system pointed out by him and additional remedial measures to be taken so that the Commission may take such urgent measures as necessary to dispel the public concerns about the use of EVMs and elicit public trust in itself.

The Commission, the independence of which has come under judicial scrutiny, cannot afford to function in secrecy. The fact that the Commission has shown reluctance to meet a delegation of opposition leaders on their EVM concerns has further reinforced the growing doubts about its independence. The Commission cannot afford to deify the existing EVM technology and obstinately defend it without reason or rhyme. I may remind the Commission that it is funded by the people of this country, not by the ruling political executive and it cannot afford to shy away from public accountability. Nor can it abandon the obligation cast on it by Article 324 of the Constitution to be independent enough to conduct elections in a free and fair manner.

The fact that the ruling political executive has chosen to ignore the apex court's suggestion to have an independent process for selecting the members of the Election Commission and the fact that the Commission has displayed unwillingness time and again to penalise senior political leaders occupying high public offices for violating the Model Code of Conduct (MCC) gives one the impression that is unwilling to function independent of the political executive and safeguard the public interest. The fact that the Commission has not chosen to direct the government to revamp the Boards of BEL and ECIL to exclude BJP's representatives from their respective Boards leads one to the inevitable inference that the line between the political executive and the Commission is getting totally blurred. This situation does not augur well for the future of India's democracy unless the Commission wakes up and corrects it urgently.

I hope that you will take this seriously, plug the "holes" and "gaps" pointed out by Madhav Deshpande immediately and start functioning independently and transparently.

Regards,

Yours sincerely,
E A S Sarma

वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद से ये हर जगह चलने लगा और साल 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश के मतदाताओं ने ईवीएम के जरिए अपने वोट डाले थे, तब से मतदान के लिए यही जरिया पूरे देश में लागू हो चुका है। 1962 से लेकर 2001 तक देश में बैलट पेपर के ज़रिये चुनाव हुए थे।

पिछले कुछ समय से आए दिन

ईवीएम से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव होना संभव नहीं

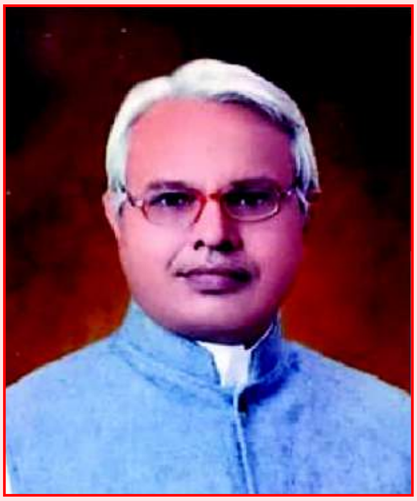

ईवीएम को लेकर देश के अंदर घमासान मचा हुआ है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां और कई सामाजिक संगठन ईवीएम की विश्वनीयता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर मध्यप्रदेश जन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोतीलाल अहिरवार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में याचिका दायर की हैं। इसके साथ ही इन्होंने राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम की खामियों उजागर किया है। इन्होंने ईवीएम के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इन याचिकाओं एवं शिकायतों के अनुसार इनका आक्षेप है कि ईवीएम से स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव होना संभव नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम मशीन से चुनाव कराना निष्पक्ष चुनाव नहीं है। निर्वाचन का कानून, निर्वाचनों का संचालन नियमों के अनुसार संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में केवल मतदाता का मत गोपनीय है, शेष संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी होने का प्रावधान है, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम की संपूर्ण संचालन प्रक्रिया को गोपनीय बना दिया है। कोर्ट में दायर की याचिकाओं में ईवीएम की बारीक कमियों को भी रेखांकित करते हुए बतलाया है। टेक्निीकल पाईंट के माध्यम से अवगत भी कराया है। ईवीएम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे कानून, नियम एवं भारतीय संविधान के उल्लंघन के कई बिंदु हैं। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम एवं वीवीपेट को लेकर जो खामियां दर्शायी गई वह निम्नलिखित हैं-

भारत निर्वाचन आयोग ने स्वयं ही लिखित में कहा है कि ईवीएम का डिस्प्ले (जिस पर रिजल्ट दिखाता है) बाहर से वायरलेस से कंट्रोल हो सकता है एवं इस में एडिशनल सर्किट डाल सकता है।

ईवीएम की मेमोरी चिप के साथ मेमोरी आईसी मनीपुलेट किया जा सकता है, जिससे ईवीएम में भंडारित चुनाव परिणामों को बदला जा सकता है। निर्वाचनों के लिए ईवीएम को तैयार करने के लिए किए जाने वाले कार्य (1) एफ़एलसी (2) कैंडिडेट सेटिंग (3) सिंबल लोडिंग, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ना किए जाकर ईवीएम की विनिर्माता कंपनियों के इंजीनियरों द्वारा किए जाते हैं। जिनकी सत्य निष्ठा भारत के संविधान के प्रति नहीं है।

चुनाव में प्रयोग की जाने वाली ईवीएम के सभी पार्ट्स असली हैं।

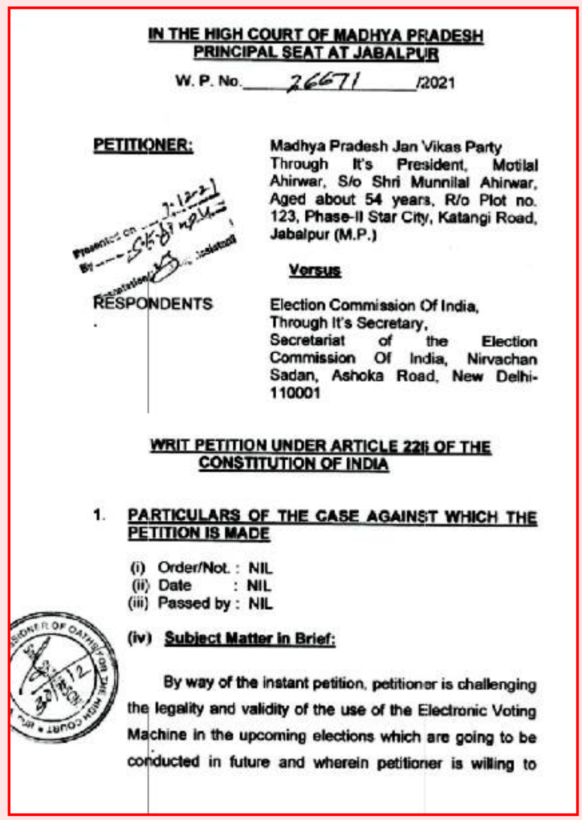

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

W. P. No. 26671 /2021

PETITIONER: Madhya Pradesh Jan Vikas Party Through It's President, Motilal Ahirwar, S/o Shri Munnilal Ahirwar, Aged about 54 years, R/o Plot no. 123, Phase-II Star City, Katangi Road, Jabalpur (M.P.)

Versus

RESPONDENTS: Election Commission Of India, Through It's Secretary, Secretariat of the Election Commission Of India, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

1. **PARTICULARS OF THE CASE AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE**

(i) Order/Not. : NIL
(ii) Date : NIL
(iii) Passed by : NIL

(iv) **Subject Matter in Brief:**

By way of the instant petition, petitioner is challenging the legality and validity of the use of the Electronic Voting Machine in the upcoming elections which are going to be conducted in future and wherein petitioner is willing to

राजनीतिक दल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो यह घटना चुनाव में हार-जीत को लेकर विभिन्न दलों के बीच चलने वाले आरोप-प्रत्यारोप का ही रूप है और इस संदर्भ में अगर चुनाव की भूमिका की बात करें तो अब तक एसा देखा गया है कि आयोग खुद को इन घटनाओं से दूर ही रखता है। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ आरोप-

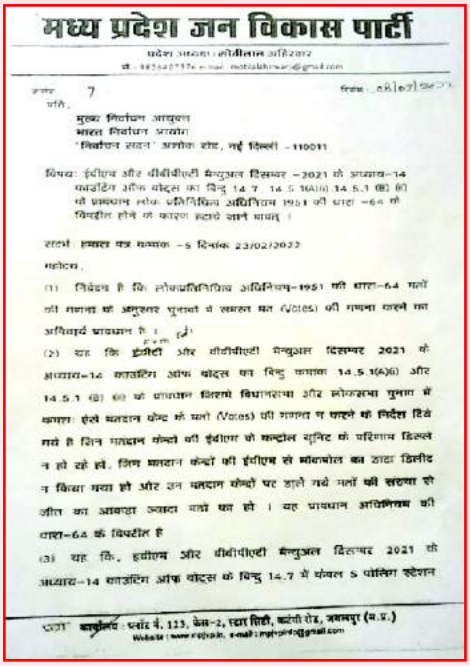

मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी

प्रदेश अध्यक्ष : मोतीलाल अहिरवार

क्रमांक 7

प्रति,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग
'निर्वाचन सदन' अशोक रोड, नई दिल्ली - 110011

विषय: ईवीएम और वीवीपीएटी मैन्युअल दिसम्बर - 2021 के अध्याय-14 काउंटिंग ऑफ वोट्स का बिन्दु 14.7, 14.5.1(A)(i), 14.5.1 (B) (i) के प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा - 64 के विपरीत होने के कारण हटाये जाने बाबत् ।

संदर्भ: हमारा पत्र क्रमांक - 5 दिनांक 23/02/2022

महोदय,

(1) निवेदन है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-64 मतों की गणना के अनुसार चुनावों में समस्त मत (Votes) की गणना करने का अनिवार्य प्रावधान है ।

(2) यह कि ईवीएम और वीवीपीएटी मैन्युअल दिसम्बर 2021 के अध्याय-14 काउंटिंग ऑफ वोट्स का बिन्दु क्रमांक 14.5.1(A)(i) और 14.5.1 (B) (i) के प्रावधान जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में क्रमशः ऐसे मतदान केन्द्र के मतों (Votes) की गणना न करने के निर्देश दिये गये है जिन मतदान केन्द्रों की ईवीएम की कन्ट्रोल यूनिट के परिणाम दिख न रहे हों, जिन मतदान केन्द्रों की ईवीएम से मॉकपोल का डाटा डिलीट न किया गया हो और उन मतदान केन्द्रों पर डाले गये मतों की संख्या से जीत का आंकड़ा ज्यादा मतों का हो । यह प्रावधान अधिनियम की धारा-64 के विपरीत है

(3) यह कि, ईवीएम और वीवीपीएटी मैन्युअल दिसम्बर 2021 के अध्याय-14 काउंटिंग ऑफ वोट्स के बिन्दु 14.7 में केवल 5 पोलिंग स्टेशन

कार्यालय : प्लॉट नं. 123, फेस-2, स्टार सिटी, बरेली रोड, जबलपुर (म.प्र.)

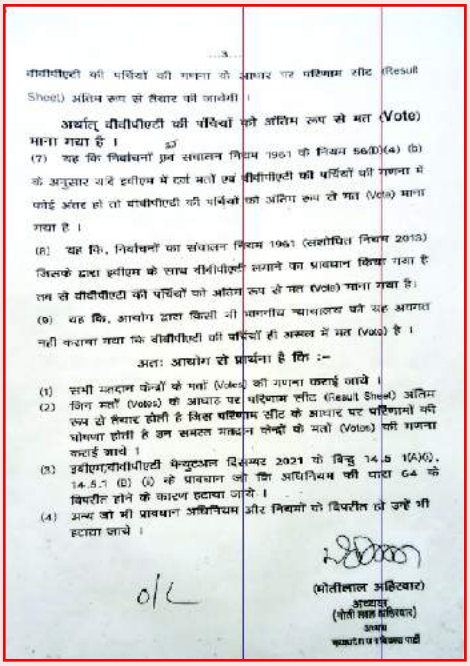

...3...

वीवीपीएटी की पर्चियों की गणना के आधार पर परिणाम सीट (Result Sheet) अंतिम रूप से तैयार की जावेगी ।

अर्थात् वीवीपीएटी की पर्चियों को अंतिम रूप से मत (Vote) माना गया है ।

(7) यह कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 56(D)(4) (b) के अनुसार यदि ईवीएम में दर्ज मतों एवं वीवीपीएटी की पर्चियों की गणना में कोई अंतर हो तो वीवीपीएटी की पर्चियों को अंतिम रूप से मत (Vote) माना गया है ।

(8) यह कि, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 (संशोधित नियम 2013) जिसके द्वारा ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने का प्रावधान किया गया है तब से वीवीपीएटी की पर्चियों को अंतिम रूप से मत (Vote) माना गया है।

(9) यह कि, आयोग द्वारा किसी भी माननीय न्यायालय को यह अवगत नहीं कराया गया कि वीवीपीएटी की पर्चियाँ ही असल में मत (Vote) है ।

अतः आयोग से प्रार्थना है कि :-

(1) सभी मतदान केन्द्रों के मतों (Votes) की गणना कराई जाये ।
(2) जिन मतों (Votes) के आधार पर परिणाम सीट (Result Sheet) अंतिम रूप से तैयार होती है जिस परिणाम सीट के आधार पर परिणामों की घोषणा होती है उन समस्त मतदान केन्द्रों के मतों (Votes) की गणना कराई जाये ।
(3) ईवीएम,वीवीपीएटी मैन्युअल दिसम्बर 2021 के बिन्दु 14.5.1(A)(i), 14.5.1 (B) (i) के प्रावधान जो कि अधिनियम की धारा 64 के विपरीत होने के कारण हटाया जाये ।
(4) अन्य जो भी प्रावधान अधिनियम और नियमों के विपरीत हो उन्हें भी हटाया जाये ।

(मोतीलाल अहिरवार)
अध्यक्ष

कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सर्टिफिक्रेट जारी नहीं किया जाना।

प्रत्येक ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग द्वारा ट्रैक करना अर्थात ईवीएम से चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग का कनेक्ट रहना। ईवीएम का सोर्स कोड भारत निर्वाचन आयोग एवं ईवीएम की निर्माता कंपनियों के पास होने से प्रदर्शित समाप्त होना।

मतदान के दिन मतदान केंद्र पर ही ईवीएम द्वारा मतों की गणना कर लेने से भारत निर्वाचन आयोग एवं रिटर्निंग ऑफ़िसर द्वारा मतगणना के लिए जारी अधिसूचना (जिसमें मतदान मतगणना की तिथि मतगणना स्थल मतगणना का समय होता है) का उल्लंघन करना। तथा रिटर्निंग ऑफ़िसर गणना प्रेषक एवं मतगणना एजेंट की अनुपस्थिति में मतगणना करने के कारण अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करता है।

ईवीएम की विनिर्माता कंपनियों से ईवीएम खरीदने के बाद कंपनियों से प्राप्त किसी भी ईवीएम की चुनाव आयोग द्वारा या आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच करना और ना ही किसी स्टैक होल्डर को जांच करने देना। मतदान के दिन मतदान के पूर्व स्टेक होल्डर को यह बताने के लिए की ईवीएम खाली है के लिए ईवीएम की मेमोरी चिप ना बताना तथा यह ना बताना कि ईवीएम में कोई एडिशनल सर्किट तो नहीं डला है अर्थात नियम 49 (e) (2) का उल्लंघन करना। यह की निर्वाचन के लिए मशीन तैयार करते समय एफएलसी सिंबल लोडिंग और कैंडिडेट सेटिंग जो की पूरी तरह से तकनीकी कार्य है, के समय किसी भी राजनीतिक दल या स्टेक होल्डर को अपने एजेंट के रूप में किसी इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ को उस हाल के अंदर जाने से प्रतिबंधित करना, जिस हाल में मशीन चुनाव के लिए तैयार की जा रही होती हैं।

VVPAT की पर्चियों से वोटर वेरीफाईबिलिटी ना होना क्योंकि चुनाव आयोग ने स्वयं कहा है कि जब तक VVPAT की पर्ची कट कर ड्राप बॉक्स में गिर नहीं जाती है, तब तक वोटर का वोट कंट्रोल यूनिट में रजिस्टर्ड नहीं होता अर्थात जब पर्ची प्रिंट होती है और जब वोटर पर्ची देखता है तब तक उसका वोट VVPAT ही रहता है। निर्वाचनों का संचालन नियम 49 (ड) (3) (ग) में VVPAT के प्रिंटर का कांच पारदर्शी होने के नियम के विरूद्ध VVPAT का कांच चुनाव आयोग द्वारा काला कर देना यह कृत्य उक्त नियम का घोर उल्लंघन है अर्थात आयोग का यह कृत्य आपराधिक श्रेणी का है।

निर्वाचनों का संचालन नियम 56 डी (4) (ख) के अनुसार VVPAT की पर्ची ही असली वोट है। जबकि चुनाव आयोग द्वारा उक्त पर्चियां की गणना किए बगैर ही चुनाव परिणाम की घोषणा करना।

प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिक दल मज़बूत तर्कों के आधार पर ईवीएम की विश्वनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूँकि, हमारे यहाँ चुनावों को सम्पन्न कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का होता है, साथ ही चुनाव प्रक्रिया में प्रयोग होने वाली सम्पूर्ण व्यवस्था का प्रबन्धन भी आयोग ही करता है। ऐसे में, अगर कोई राजनीतिक दल ईवीएम को

आखिर किसके दबाव में चुनाव आयोग ईवीएम-वीवीपैट को लेकर अपने ही दस्तावेजों को गलत ठहरा रहा है?

चुनाव आयोग आखिर किस मजबूरी के कारण ईवीएम-वीवीपैट का गलत बचाव अपने ही नियमों के विरुद्ध कर रहा है। सबसे पहले यह बात साफ होनी चाहिए कि देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को भारत के संविधान के रिप्रेंस्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ईवीएम-वीवीपैट संबंधित अपनी मैनुअल में छपी बात का विरोधाभास अपने ही प्रेस विज्ञप्ति में किया है। बड़ा सवाल यह है की ऐसा अनैतिक कार्य चुनाव आयोग किस मजबूरी के तहत कर रहा है। आज उसके तौर तरीकों को शक की निगाह से देखा जा रहा है और कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि इस महान संस्थान की गरिमा वापस लौटाने के लिए एक और टी एन शेषन चाहिए। चुनाव आयोग की ईवीएम-वीवीपैट से संबंधित कुछ निर्णय एवं बचाव करने से आज आम जनता के मन में शंका उत्पन्न करती है जो

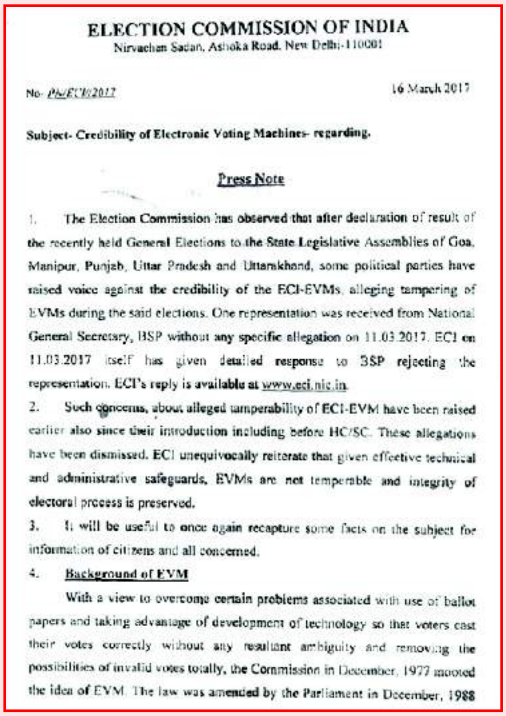

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No- PN/ECI/2017 16 March 2017

Subject- Credibility of Electronic Voting Machines- regarding.

Press Note

1. The Election Commission has observed that after declaration of result of the recently held General Elections to the State Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand, some political parties have raised voice against the credibility of the ECI-EVMs, alleging tampering of EVMs during the said elections. One representation was received from National General Secretary, BSP without any specific allegation on 11.03.2017. ECI on 11.03.2017 itself has given detailed response to BSP rejecting the representation. ECI's reply is available at www.eci.nic.in.

2. Such concerns, about alleged tamperability of ECI-EVM have been raised earlier also since their introduction including before HC/SC. These allegations have been dismissed. ECI unequivocally reiterate that given effective technical and administrative safeguards, EVMs are not temperable and integrity of electoral process is preserved.

3. It will be useful to once again recapture some facts on the subject for information of citizens and all concerned.

4. Background of EVM

With a view to overcome certain problems associated with use of ballot papers and taking advantage of development of technology so that voters cast their votes correctly without any resultant ambiguity and removing the possibilities of invalid votes totally, the Commission in December, 1977 mooted the idea of EVM. The law was amended by the Parliament in December, 1988

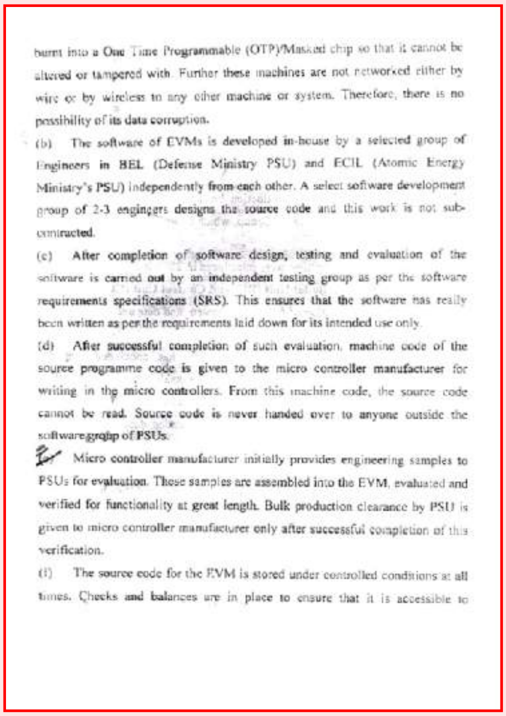

burnt into a One Time Programmable (OTP)/Masked chip so that it cannot be altered or tampered with. Further these machines are not networked either by wire or by wireless to any other machine or system. Therefore, there is no possibility of its data corruption.

(b) The software of EVMs is developed in-house by a selected group of Engineers in BEL (Defense Ministry PSU) and ECIL (Atomic Energy Ministry's PSU) independently from each other. A select software development group of 2-3 engineers designs the source code and this work is not sub-contracted.

(c) After completion of software design, testing and evaluation of the software is carried out by an independent testing group as per the software requirements specifications (SRS). This ensures that the software has really been written as per the requirements laid down for its intended use only.

(d) After successful completion of such evaluation, machine code of the source programme code is given to the micro controller manufacturer for writing in the micro controllers. From this machine code, the source code cannot be read. Source code is never handed over to anyone outside the software group of PSUs.

(e) Micro controller manufacturer initially provides engineering samples to PSUs for evaluation. These samples are assembled into the EVM, evaluated and verified for functionality at great length. Bulk production clearance by PSU is given to micro controller manufacturer only after successful completion of this verification.

(f) The source code for the EVM is stored under controlled conditions at all times. Checks and balances are in place to ensure that it is accessible to

चुनाव आयोग की 16.03.2014 की प्रेस विज्ञप्ति

लेकर गंभीर आरोप लगाता है तो यह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली एवं प्रबंधन पर ही सवालिया निशान लगाना होगा। यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर आयोग एकदम गंभीर हो गया है। आयोग ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव वाले पाँच राज्यों के चुनाव अधिकारियों को किसी भी समय जाँच हेतु मँगाए जाने पर ईवीएम को भेजने के लिये तैयार रहने के लिये कहा है। दरअसल, आयोग ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संबंधी आरोपों को साबित करने के लिये राजनीतिक दलों को एक खुली चुनौती दी है।

> **मतपत्र गोली से अधिक मजबूत है**
> **- अब्राहिम लिंकन**

ईवीएम की शुरुआत कब हुई?

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

निम्नलिखित है :-

1- ईवीएम-वीवीपैट का निर्माण संबंधी-मैनुअल अनुसार ईवीएम-वीवीपैट का निर्माण भारत सरकार के प्रतिष्ठित सरकारी उपक्रम करती है, जबकि अपने इस कथन को स्वयं चुनाव आयोग ने ही अपनी दिनांक 16-03-2017 की प्रेस विज्ञप्ति ने झूठा साबित कर दिया। विज्ञप्ति के क्रमांक 7(d,e) में चुनाव आयोग कहता है कि "Micro controller manufacturer initially provided engineering samples to PSUs for evaluation. These samples are assembled into EVM.... इसका तात्पर्य यह है कि ईवीएम-वीवीपैट के पार्ट्स सरकारी उपक्रम किसी निजी कंपनी आऊटसोर्स से करवाती है। अतः पूरा चुनाव इससे कम्प्रोमाइज हो सकता है। साथ-साथ देश के संविधान ने तो काम चुनाव आयोग को दिया उस मशीन के पार्ट कहीं न कहीं प्रायवेट कंपनियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है।

2- ईवीएम-वीवीपैट को इंडिपेंडेंट टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी द्वारा वेरिफाइड एवं सर्टिफाइड करने बाबत-दरअसल ईवीएम-वीवीपैट का प्रोटोटाइप टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी द्वारा डिजाइन कर निर्माता कंपनी को दिया जाता हैं, जिसे वो सैंपल मशीन और सॉफ्टवेयर तैयार कर टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी को सौंपती है।यह कमिटी जब डिजाइन को ओके करती है फिर उस संबंधित कंपनी को हजारों-लाखों ईवीएम-वीवीपैट का ऑर्डर मिलता है। यह सब मशीनें इस टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी द्वारा जांचकर वेरिफाइड और सर्टिफाइड नहीं करती है जबकि उस प्रोटोटाइप डिजाइन को ही वेरिफाइड और सर्टिफाइड करती है। इस तरह जो ईवीएम-वीवीपैट से चुनाव कराया जाता है वो सर्टिफाइड ही नहीं होते है, इसका मतलब अगर मशीन की

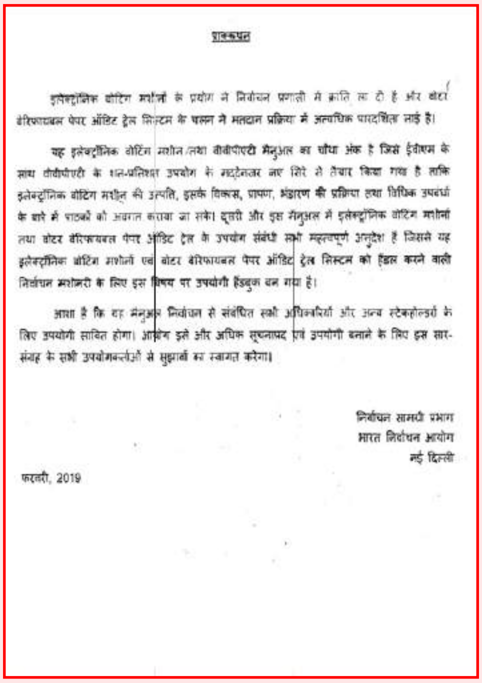

प्राक्कथन

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग ने निर्वाचन प्रणाली में क्रांति ला दी है और वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम के चलन ने मतदान प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाई है।

यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपीएटी मैनुअल का चौथा अंक है जिसे ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के शत-प्रतिशत उपयोग के मद्देनजर नए सिरे से तैयार किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की उत्पत्ति, इसके विकास, प्रापण, भंडारण की प्रक्रिया तथा विधिक उपबंधों के बारे में पाठकों को अवगत कराया जा सके। दूसरी ओर इस मैनुअल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल के उपयोग संबंधी सभी महत्वपूर्ण अनुदेश हैं जिससे यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम को हैंडल करने वाली निर्वाचन मशीनरी के लिए इस विषय पर उपयोगी हैंडबुक बन गया है।

आशा है कि यह मैनुअल निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के लिए उपयोगी साबित होगा। आयोग इसे और अधिक सूचनाप्रद एवं उपयोगी बनाने के लिए इस सार-संग्रह के सभी उपयोगकर्त्ताओं से सुझावों का स्वागत करेगा।

निर्वाचन सामग्री प्रभाग
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली

फरवरी, 2019

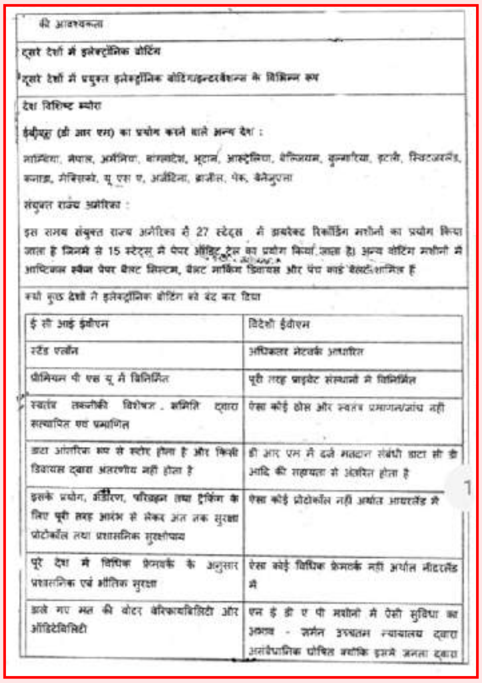

की आवश्यकता

दूसरे देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग

दूसरे देशों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग/इन्टरवेंशन्स के विभिन्न रूप

देश विशिष्ट ब्यौरा

ईवीएम (डी आर एम) का प्रयोग करने वाले अन्य देश :

नामिबिया, नेपाल, अर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, इटली, स्विटजरलैंड, कनाडा, मैक्सिको, यू एस ए, अर्जेंटिना, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला

संयुक्त राज्य अमेरिका :

इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के 27 स्टेट्स में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मशीनों का प्रयोग किया जाता है जिनमें से 15 स्टेट्स में पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग किया जाता है। अन्य वोटिंग मशीनों में आप्टिकल स्कैन पेपर बैलट सिस्टम, बैलट मार्किंग डिवाइस और पंच कार्ड बैलट शामिल हैं

क्यों कुछ देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को बंद कर दिया

ई सी आई ईवीएम	विदेशी ईवीएम
स्टैंड एलोन	अधिकतर नेटवर्क आधारित
प्रीमियम पी एस यू में विनिर्मित	पूरी तरह प्राइवेट संस्थानों में विनिर्मित
स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित	ऐसा कोई ठोस और स्वतंत्र प्रमाणन/जांच नहीं
डाटा आंतरिक रूप से स्टोर होता है और किसी डिवाइस द्वारा अंतरणीय नहीं होता है	डी आर एम में डाले मतदान संबंधी डाटा सी डी आदि की सहायता से अंतरित होता है
इसके प्रयोग, भंडारण, परिवहन तथा ट्रैकिंग के लिए पूरी तरह आरंभ से लेकर अंत तक सुरक्षा प्रोटोकॉल तथा प्रशासनिक सुरक्षोपाय	ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं अर्थात आयरलैंड में
पूरे देश में विधिक फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशासनिक एवं भौतिक सुरक्षा	ऐसा कोई विधिक फ्रेमवर्क नहीं अर्थात नीदरलैंड में
डाले गए मत की वोटर वेरिफायबिलिटी और ऑडिटेबिलिटी	एन ई डी ए पी मशीनों में ऐसी सुविधा का अभाव - जर्मन उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित क्योंकि इसमें जनता द्वारा

चुनाव आयोग की मैनुअल जिसमें उसके 2017 कि प्रेस विज्ञप्ति को गलत ठहरा दिया

(ECIL) ने 06 अगस्त 1980 को राजनीतिक दलों के सामने पहला ईवीएम प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया। पायलट परीक्षण 19 मई 1982 को केरल के पारू र विधानसभा क्षेत्र में 50 मतदान केंद्रों पर किया गया था। ईसीआईएल के साथ एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) को निर्माता के रूप में बोर्ड पर लाया गया।

ईवीएम हटाओ देश बचाओ नारों से गूंज रहा देश

ईवीएम की जांच के लिए नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) की सिफारिश पर, चुनाव आयोग ने अप्रैल 1990 में ईवीएम का उपयोग करने का निर्णय लिया। 1998 में मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित 16 विधानसभा चुनावों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। इसे धीरे-धीरे 2004 तक विस्तारित किया गया। जब सभी 543

चिप, सॉफ्टवेयर में कुछ छेड़छाड़ हुई है तो उसका कोई लायबिलिबिटी किसी पर नहीं बनता है। इसके साथ ही मैनुअल के पेज क्रमांक 133 में चुनाव आयोग द्वारा लिखा गया है कि मतदान/मतगणना से पहले माईक्रोन ट्रालर/ मेमोरी चिप को बदलना असंभव है जबकि अपने ही पृष्ठ क्रमांक 156 में लिखा गया है गुप्त रूप से लगाये घटकों या अनाधिकृत रिवर्क यदि हो कोई हो तो बीयू उसे हटा कर अलग कर देना चाहिए।

3-निर्वाचन के लिए ईवीएम को तैयार करने के लिए जाने वाले कार्य 1 एफएलसी 2 केन्डिडेट सेटिंग 3 सिम्बॉल लोडिंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा न किये जाकर ईवीएम की वी निर्माता कंपनियों के इंजीनियर द्वारा किये जाते हैं जिनकी सत्यनिष्ठा भारत के संविधान के प्रति नहीं हैं। इसके साथ ही चुनाव में प्रयोग किये जाने वाली ईवीएम के सभी सर्टिफिकेट ईवीएम के सभी पार्ट असली है वह इन कंपनियों द्वारा जारी किये जाते है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाना असंवैधानिक है। क्योंकि भारत के संविधान और कानून में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौपी गई है न कि किसी कंपनी को।

4- भारत के संविधान के रिप्रेंस्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि चुनावी प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी रहेगी। बस एक अपवाद स्वरूप मतदाता का मत किस दल/पार्टी/व्यक्ति को गया है यह बात गुप्त रखी जायेगी। इसके इलावा पूरी प्रकिया में हर चरण पर सम्पूर्ण पारदर्शिता चुनाव आयोग को रखनी चाहिए पर इसके उलट चुनाव आयोग नियम 49 (म) (2), 49 (ड), (3) (ग) जोकि निर्वाचनों का संचालन नियम के उल्लंघनका रूप है। मतदान के दिन स्टेक होल्डर यहां पर पार्टी/दल/ व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता कि ईवीएम खाली है। ईवीएम में मेमोरी चिप नहीं बतलाई जाती न ही ईवीएम में कोई अतिरिक्त सर्किट है उसकी जानकारी नहीं दी जाती। निर्वाचन के लिए मशीन तैयार करते समय एफएलसी, सिम्बॉल लोडिंग और केंडिडेट सेटिंग के समय किसी भी दल या स्टेक होल्डर को उस हाल में अंदर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है जिस हॉल में मशीन चुनाव के लिए

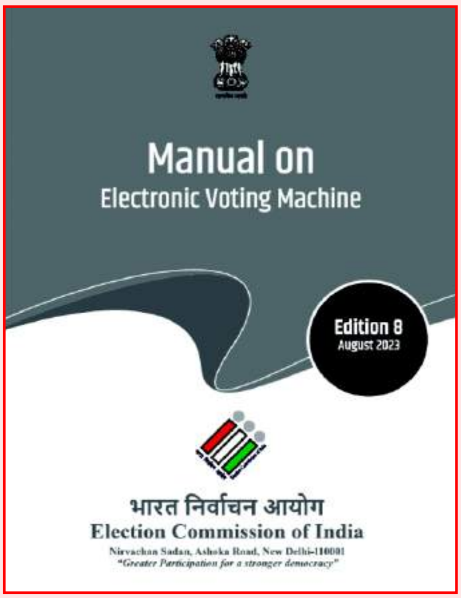

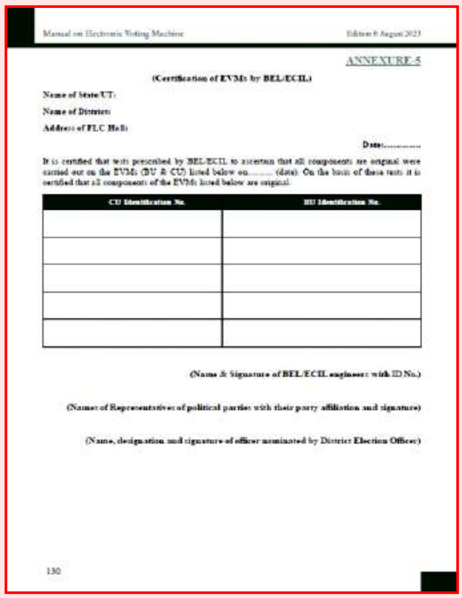

Manual on Electronic Voting Machine — Edition 8 August 2023

ANNEXURE-5

(Certification of EVMs by BEL/ECIL)

Name of State/UT:

Name of District:

Address of FLC Hall:

Date:..............

It is certified that tests prescribed by BEL/ECIL to ascertain that all components are original were carried out on the EVMs (BU & CU) listed below on......... (date). On the basis of these tests it is certified that all components of the EVMs listed below are original.

CU Identification No.	BU Identification No.

(Name & Signature of BEL/ECIL engineers with ID No.)

(Names of Representatives of political parties with their party affiliation and signature)

(Name, designation and signature of officer nominated by District Election Officer)

130

ईवीएम मशीनों को सर्टिफाई चुनाव आयोग द्वारा ना देकर कंपनियां देती है।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव ईवीएम का उपयोग करके आयोजित किए गए। तब से इसका उपयोग सभी विधानसभा और संसदीय चुनावों में किया जाता रहा है।

वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) मशीन, ईवीएम का दूसरा भाग, पहली बार 2013 में नागालेंड के एक विधानसभा क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से वीवीपीएटी का उपयोग सभी चुनावों में ईवीएम के साथ किया गया है।

विपक्ष के वॉर से सकते में सरकार और चुनाव आयोग

ईवीएम को लेकर कानूनी चुनौतियां क्या हैं?

ईवीएम को शुरू से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पारू र में एक

तैयार की जा रही होती है। अभी हाल में ही वीवीपैट की प्रिंटर की कांच को चुनाव आयोग द्वारा फिल्म लगवा दिया गया जोकि कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन स्पष्ट तौर पर परीलक्षित होता है।

5- चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के लिए प्रयुक्त ईवीएम का डाटा स्टोरेज का किसी अन्य यंत्र पर स्थानांतरित नहीं होने का कथन अपनी मैनुअल में कहा है, जबकि ईवीएम मशीन में दिनांक चुनाव आयोग द्वारा अन्य प्रिंटर और डिस्प्ले युनिट पर किया जाता है इसके साथ ही दिनांक का प्रिंटआउट चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। इस तारतम्य में चुनाव आयोग के मैनुअल के कंण्डिका 16.4 में और प्रैस नोट पर संदर्भित है।

6- वीवीपैट की पर्ची से मतदान के दौरान वोटर अपना वोट वेरीफाय नहीं कर पाता क्योंकि जब वोटर अपना वोट पर्ची पर देखता है तब तक उसका वोट वीवीपैट में ही रहता है जबकि नियमों में स्पष्ट है कि वीवीपैट की पर्ची जब तक कट कर ड्राप बॉक्स में नहीं गिर जाती तब तक वोटर का वोट कन्ट्रोल युनिट में रजिस्टर नहीं होता है। भारत में संविधान अनुसार और निर्वाचनों का संचालन नियम 56 डी (4ख) अनुसार इलेक्ट्रॉनिकली वोट काउंटिंग अमान्य है और पर्चियों के गणना किये बगैर चुनाव परिणाम की घोषणा करना असंवैधानिक हैं। इसका मतलब यह है कि वीवीपैट से निकली हुई पर्ची ही असली वोट है और उसी की गणना अनुसार जीत हार तय होना चाहिए। भारत में ईवीएम से इसी मतगणना के खिलाफ जब सब प्रमुख विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट गये तो उन्होंने ईवीएम की चुनावी प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लगाते हुये पिटिशन दायर की जिसे

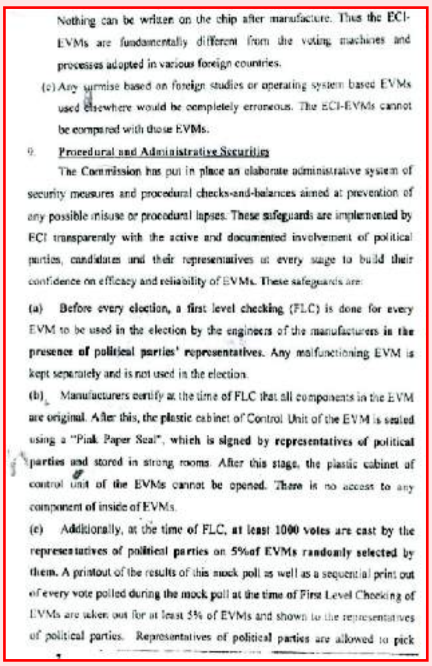

Nothing can be writen on the chip after manufacture. Thus the ECI-EVMs are fundamentally different from the voting machines and processes adopted in various foreign countries.

(e) Any surmise based on foreign studies or operating system based EVMs used elsewhere would be completely erroneous. The ECI-EVMs cannot be compared with those EVMs.

9. Procedural and Administrative Securities

The Commission has put in place an elaborate administrative system of security measures and procedural checks-and-balances aimed at prevention of any possible misuse or procedural lapses. These safeguards are implemented by ECI transparently with the active and documented involvement of political parties, candidates and their representatives at every stage to build their confidence on efficacy and reliability of EVMs. These safeguards are:

(a) **Before every election, a first level checking (FLC) is done for every EVM to be used in the election by the engineers of the manufacturers in the presence of political parties' representatives.** Any malfunctioning EVM is kept separately and is not used in the election.

(b) Manufacturers certify at the time of FLC that all components in the EVM are original. After this, the plastic cabinet of Control Unit of the EVM is sealed using a "Pink Paper Seal", **which is signed by representatives of political parties** and stored in strong rooms. After this stage, the plastic cabinet of control unit of the EVMs cannot be opened. There is no access to any component of inside of EVMs.

(c) Additionally, at the time of FLC, **at least 1000 votes are cast by the representatives of political parties on 5% of EVMs randomly selected by them.** A printout of the results of this mock poll as well as a sequential print out of every vote polled during the mock poll at the time of First Level Checking of EVMs are taken out for at least 5% of EVMs and shown to the representatives of political parties. Representatives of political parties are allowed to pick

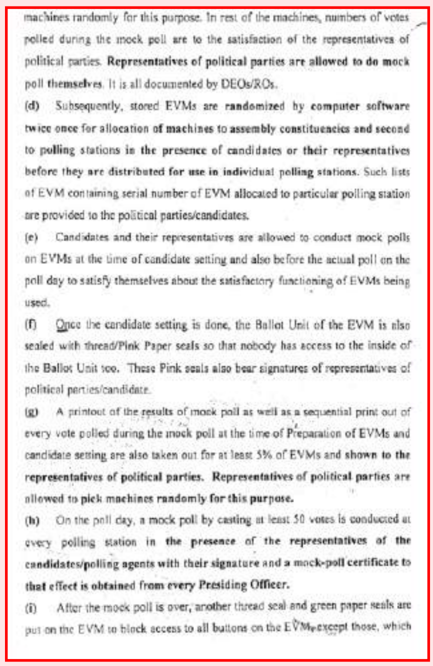

machines randomly for this purpose. In rest of the machines, numbers of votes polled during the mock poll are to the satisfaction of the representatives of political parties. **Representatives of political parties are allowed to do mock poll themselves.** It is all documented by DEOs/ROs.

(d) Subsequently, stored EVMs are **randomized by computer software twice once for allocation of machines to assembly constituencies and second to polling stations in the presence of candidates or their representatives before they are distributed for use in individual polling stations.** Such lists of EVM containing serial number of EVM allocated to particular polling station are provided to the political parties/candidates.

(e) Candidates and their representatives are allowed to conduct mock polls on EVMs at the time of candidate setting and also before the actual poll on the poll day to satisfy themselves about the satisfactory functioning of EVMs being used.

(f) Once the candidate setting is done, the Ballot Unit of the EVM is also sealed with thread/Pink Paper seals so that nobody has access to the inside of the Ballot Unit too. These Pink seals also bear signatures of representatives of political parties/candidate.

(g) A printout of the results of mock poll as well as a sequential print out of every vote polled during the mock poll at the time of Preparation of EVMs and candidate setting are also taken out for at least 5% of EVMs and **shown to the representatives of political parties. Representatives of political parties are allowed to pick machines randomly for this purpose.**

(h) On the poll day, a mock poll by casting at least 50 votes is conducted at every polling station **in the presence of the representatives of the candidates/polling agents with their signature and a mock-poll certificate to that effect is obtained from every Presiding Officer.**

(i) After the mock poll is over, another thread seal and green paper seals are put on the EVM to block access to all buttons on the EVM, except those, which

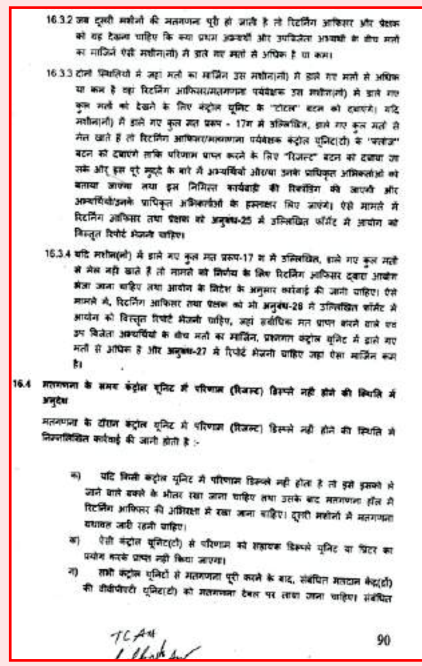

16.3.2 जब दूसरी मशीनों की मतगणना पूरी हो जाती है तो रिटर्निंग आफिसर और प्रेक्षक को यह देखना चाहिए कि क्या प्रथम अभ्यर्थी और उपविजेता अभ्यर्थी के बीच मतों का मार्जिन ऐसी मशीन(नों) में डाले गए मतों से अधिक है या कम।

16.3.3 दोनों स्थितियों में जहां मतों का मार्जिन उस मशीन(नों) में डाले गए मतों से अधिक या कम है वहां रिटर्निंग आफिसर/मतगणना पर्यवेक्षक उस मशीन(नों) में डाले गए कुल मतों को देखने के लिए कंट्रोल यूनिट के "टोटल" बटन को दबाएंगे। यदि मशीन(नों) में डाले गए कुल मत प्ररूप - 17ग में उल्लिखित, डाले गए कुल मतों से मेल खाते हैं तो रिटर्निंग आफिसर/मतगणना पर्यवेक्षक कंट्रोल यूनिट(टों) के "क्लोज" बटन को दबाएंगे ताकि परिणाम प्राप्त करने के लिए "रिजल्ट" बटन को दबाया जा सके और इस पूरे मुद्दे के बारे में अभ्यर्थियों और/या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को बताया जाएगा तथा इस निमित्त कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जाएगी और अभ्यर्थियों/उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। ऐसे मामले में रिटर्निंग आफिसर तथा प्रेक्षक को अनुबंध-25 में उल्लिखित फॉर्मेट में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए।

16.3.4 यदि मशीन(नों) में डाले गए कुल मत प्ररूप-17 ग में उल्लिखित, डाले गए कुल मतों से मेल नहीं खाते हैं तो मामले को निर्णय के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा आयोग भेजा जाना चाहिए तथा आयोग के निदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, रिटर्निंग आफिसर तथा प्रेक्षक को भी अनुबंध-28 में उल्लिखित फॉर्मेट में आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जहां सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले एवं उप विजेता अभ्यर्थियों के बीच मतों का मार्जिन, प्रश्नगत कंट्रोल यूनिट में डाले गए मतों से अधिक है और अनुबंध-27 में रिपोर्ट भेजनी चाहिए जहां ऐसा मार्जिन कम है।

16.4 मतगणना के समय कंट्रोल यूनिट में परिणाम (रिजल्ट) डिस्प्ले नहीं होने की स्थिति में अनुदेश

मतगणना के दौरान कंट्रोल यूनिट में परिणाम (रिजल्ट) डिस्प्ले नहीं होने की स्थिति में निम्नलिखित कार्रवाई की जानी होती है :-

क) यदि किसी कंट्रोल यूनिट में परिणाम डिस्प्ले नहीं होता है तो इसे इसको ले जाने वाले बक्से के भीतर रखा जाना चाहिए तथा उसके बाद मतगणना हॉल में रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए। दूसरी मशीनों में मतगणना यथावत जारी रहनी चाहिए।

ख) ऐसी कंट्रोल यूनिट(टों) से परिणाम को सहायक डिस्प्ले यूनिट या प्रिंटर का प्रयोग करके प्राप्त नहीं किया जाएगा।

ग) सभी कंट्रोल यूनिटों से मतगणना पूरी करने के बाद, संबंधित मतदान केंद्र(ों) की वीवीपैट यूनिट(टों) को मतगणना टेबल पर लाया जाना चाहिए। संबंधित

90

आयोग द्वारा एक ही मुद्दे को अपने दो दस्तावेजों में अलग-अलग राय

उम्मीदवार, सीपीआई के सिवन पिल्लई ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती दी थी। ईवीएम पर चुनाव आयोग के 2021 स्थिति पत्र के अनुसार केरल उच्च न्यायालय ने उनकी चुनौती को खारिज कर दिया। पिल्लई बाद में चुनाव जीत गए। बाद में, एक अन्य उम्मीदवार ने ईवीएम के उपयोग को चुनौती

बड़ा सवाल : ईवीएम के भारी विरोध के बाद भी एक्शन क्यों नहीं ले रहा चुनाव आयोग?

दी और 1984 में फिर से कागजी मतपत्रों के साथ चुनाव हुआ। उस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तकनीकी पर था, जिसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन द्वारा संबोधित किया गया था। 1988 में, न कि ईवीएम की उपयुक्तता पर, जैसा कि चुनाव आयोग के पेपर में कहा गया है। ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका पर

बाद में चुनाव आयोग द्वारा शपथ पत्र देने पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये। राजनीतिक दलों कि इस पिटिशन की सबसे बड़ी खामी यह थी इसमें उन्होंने चुनावी प्रक्रिया की व्याख्या ही गलत कर डाली, जिसमें ईवीएम की खमियों की बात की गई जबकि संविधान और नियमानुसार मतदाता पर्ची की गणना पर ही मतदान पश्चात जीत हार तय हो सकता है। विपक्षी दलो की इसी कानूनी चूक के कारण उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से पहले रेण्डम पांच ईवीएम की वोटो की जांच गणना अनुसार वीवीपैट की पर्चियों से करता है। जैसे किसी मशीन में 194 वोट अंकित हुये है तो उतने ही पर्चिया वीवीपैट के ड्राप बॉक्स में होना चाहिए। पर बड़ा सवाल यह है कि उन पर्चियों में किस दल को धांधली करके जितवाया गया या हरवाया गया इसकी कोई प्रक्रिया निर्धारण चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है। इस तरीके से चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम मशीन से चुनाव कराया जाना निष्पक्ष चुनाव में नहीं आता है। जिसे आयोग को संज्ञान लेकर 2024 के आम चुनाव से पहले प्रक्रिया बनाकर वीवीपैट से निकली हुई पर्चियां मतदाता द्वारा मतपेटी में डालने की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी 2023 में एक राजनैतिक दल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका को खारिज कर उस पर कॉस्ट लगाया गया था। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम चुनावों पर नियंत्रण की बात की जबकि चुनाव आयोग ने आज तक कहीं ये दावा नहीं किया कि ईवीएम मशीन को वह नियंत्रित कर सकता है।

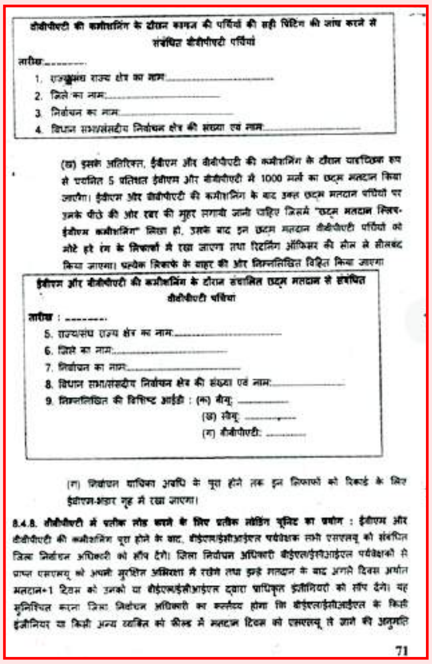
वीवीपीएटी की कमीशनिंग के दौरान कागज की पर्चियों की सही प्रिंटिंग की जांच करने से संबंधित वीवीपीएटी पर्चियां

तारीख........

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.................
2. जिले का नाम.................
3. निर्वाचन का नाम.................
4. विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम.................

(ख) इसके अतिरिक्त, ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग के दौरान यादृच्छिक रूप से चयनित 5 प्रतिशत ईवीएम और वीवीपीएटी में 1000 मतों का छद्म मतदान किया जाएगा। ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग के बाद उक्त छद्म मतदान पर्चियों पर उनके पीछे की ओर रबर की मुहर लगायी जानी चाहिए जिसमें "छद्म मतदान लिखा- ईवीएम कमीशनिंग" लिखा हो, उसके बाद इन छद्म मतदान वीवीपीएटी पर्चियों को मोटे हरे रंग के लिफाफों में रखा जाएगा तथा रिटर्निंग ऑफिसर की सील से सीलबंद किया जाएगा। प्रत्येक लिफाफे के बाहर की ओर निम्नलिखित विहित किया जाएगा

ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग के दौरान संचालित छद्म मतदान से संबंधित वीवीपीएटी पर्चियां

तारीख : ....

5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम.................
6. जिले का नाम.................
7. निर्वाचन का नाम.................
8. विधान सभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम.................
9. निम्नलिखित की विशिष्ट आईडी : (क) बीयू ....
(ख) सीयू ....
(ग) वीवीपीएटी ....

(ग) निर्वाचन याचिका अवधि के पूरा होने तक इन लिफाफों को रिकार्ड के लिए ईवीएम-भंडार गृह में रखा जाएगा।

8.4.8. वीवीपीएटी में प्रतीक लोड करने के लिए प्रतीक लोडिंग यूनिट का प्रयोग : ईवीएम और वीवीपीएटी की कमीशनिंग पूरा होने के बाद, बीईएल/ईसीआईएल पर्यवेक्षक सभी एसएलयू को संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंप देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी बीईएल/ईसीआईएल पर्यवेक्षकों से प्राप्त एसएलयू को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेंगे तथा इन्हें मतदान के बाद अगले दिवस अर्थात मतदान+1 दिवस को उनको या बीईएल/ईसीआईएल द्वारा प्राधिकृत इंजीनियरों को सौंप देंगे। यह सुनिश्चित करना जिला निर्वाचन अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि बीईएल/ईसीआईएल के किसी इंजीनियर या किसी अन्य व्यक्ति को फील्ड में मतदान दिवस को एसएलयू ले जाने की अनुमति

71

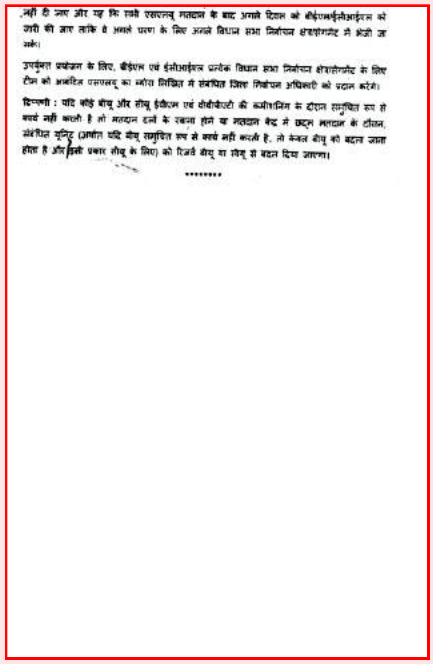
नहीं दी जाए और यह कि सभी एसएलयू मतदान के बाद अगले दिवस को बीईएल/ईसीआईएल को जारी की जाए ताकि वे अगले चरण के लिए अगले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेगमेंट में भेजी जा सके।

उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, बीईएल एवं ईसीआईएल प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेगमेंट के लिए टीम को आवंटित एसएलयू का ब्योरा लिखित में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रदान करेंगे।

टिप्पणी : यदि कोई बीयू और सीयू ईवीएम एवं वीवीपीएटी की कमीशनिंग के दौरान समुचित रूप से कार्य नहीं करती है तो मतदान दलों के रवाना होने या मतदान केंद्र में छद्म मतदान के दौरान, संबंधित यूनिट (अर्थात यदि बीयू समुचित रूप से कार्य नहीं करती है, तो केवल बीयू को बदला जाना होता है और इसी प्रकार सीयू के लिए) को रिजर्व बीयू या सीयू से बदल दिया जाएगा।

****

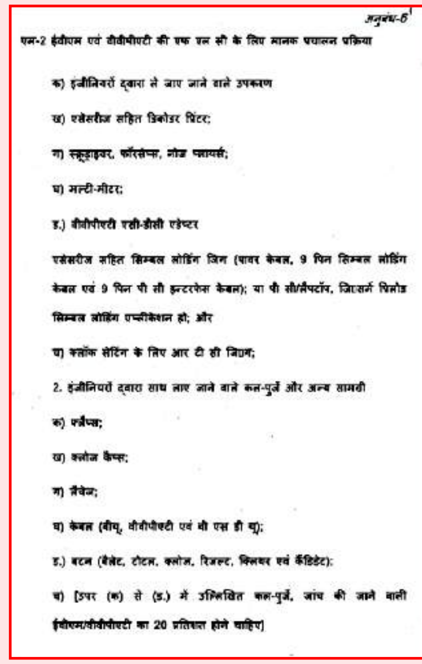
अनुबंध-6

एम-2 ईवीएम एवं वीवीपीएटी की एफ एल सी के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया

क) इंजीनियरों द्वारा ले जाए जाने वाले उपकरण

ख) एसेसरीज सहित डिकोडर प्रिंटर;

ग) स्क्रूड्राइवर, फॉरसेप्स, नोज प्लायर्स;

घ) मल्टी-मीटर;

ङ.) वीवीपीएटी एसी-डीसी एडेप्टर

एसेसरीज सहित सिम्बल लोडिंग जिग (पावर केबल, 9 पिन सिम्बल लोडिंग केबल एवं 9 पिन पी सी इन्टरफेस केबल); या पी सी/लैपटॉप, जिसमें सिम्बल लोडिंग एप्लीकेशन हो; और

च) क्लॉक सेटिंग के लिए आर टी सी जिग;

2. इंजीनियरों द्वारा साथ लाए जाने वाले कल-पुर्जे और अन्य सामग्री

क) फ्यूज;

ख) क्लोज कैप्स;

ग) लैचेज;

घ) केबल (बीयू, वीवीपीएटी एवं वी एस डी यू);

ङ.) बटन (बैलेट, टोटल, क्लोज, रिजल्ट, क्लियर एवं कैंडिडेट);

च) [ऊपर (क) से (ङ.) में उल्लिखित कल-पुर्जे, जांच की जाने वाली ईवीएम/वीवीपीएटी का 20 प्रतिशत होने चाहिए]

ईवीएम को स्टेडअलोन कहना आयोग अपनी मैनुअल में ही अपनी बात को गलत साबित कर दिया

कई हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुके हैं।

वीवीपैट पर्चियों की गिनती पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रति विधानसभा सीट पर पांच मतदान केंद्रों या लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पांच मतदान केंद्रों की पर्चियों को सत्यापित किया जाए। इसमें यह भी कहा गया, 'हमें यकीन है कि सिस्टम सटीक चुनावी नतीजे सुनिश्चित करता है।

लोकतंत्र की साख पर बट्टा लगा रही ईवीएम

राजनीतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ क्या हैं?

यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने ही इस पर संदेह व्यक्त किया था। 2009 में भाजपा नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कागजी

ईवीएम हटाओ, देश बचाओ

देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के विरोध में सड़को पर उतर चुके है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ मोर्चा के तहत देश की राजधानी में सैकड़ों वकील प्रदर्शन कर ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारो से विरोध कर रहे है। साथ ही मुख्य चुनाव आयोग से मांग कर रहे है कि ईवीएम से चुनाव न कराये जाये।

मतपत्रों की वापसी की मांग की। 2010 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के एक साल बाद, उन्होंने एक ब्लाग पोस्ट में ईवीएम की निष्पक्षता पर संदेह जताया। वर्तमान भाजपा सांसद और तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव ने 2010 में डेमोक्रेसी एट रिस्क नामक पुस्तक लिखी थी। क्या हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? 2017 में उत्तरप्रदेश चुनाव के बाद, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव ने ईवीएम पर संदेह जताया। आम आदमी पार्टी ने भी ईवीएम की विश्वनीयता को लेकर चिंता जताई है। 24 मई, 2017 को AAP नेता पंकज कुमार गुप्ता ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्तनसीम जैदी को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीत रही है क्योंकि वे ईवीएम के मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। गुप्ता ने पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज द्वारा दिल्ली विधानसभा में ईवीएम जैसी मशीन से छेड़छाड़ के प्रदर्शन का हवाला दिया। राजनीतिक दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने मई 2017 में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों

की एक बैठक बुलाई, जहां उसने कहा कि वह भविष्य के चुनावों में 100 प्रतिशत वीवीपीएटी का उपयोग सुनिश्चित करेगा।

कैसे काम करती है ईवीएम

भारत में बनीं ये मशीनें बैटरी से चलती हैं। ये मशीनें उन इलाकों में भी चल सकती हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती है। मतदाताओं को वोट करने के लिए एक बटन दबाना होता है। एक ईवीएम में दो

आंकड़ों से समझे, कैसे वोट शेयर में सेंधमारी से बदलते हैं आंकड़े

मध्यप्रदेश में कुल मतदाता 5.6 करोड़ है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी राजनैतिक दल ने अपने पिछले चुनाव के वोट प्रतिशत को रिटेन किया है। पर उसके सीट शेयर प्रतिशत 57.89 अपने पिछले चुनाव के मुकाबले गिर गया है। 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 40.89 प्रतिशत था और उसे 114 सीटे मिली थी। वही भाजपा का वोट 41.02 प्रतिशत था और उसे 109 सीटे मिली थी। इस बार के 2023 चुनावों में भाजपा का वोट शेयर 48.62 प्रतिशत रहा और उसने 163 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.45 प्रतिशत था और उसने 66 सीटे जीती। इस पूरे आंकड़े का शोध किया जाए तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी दल को इतना भयंकर जनादेश मिला जबकि उसके प्रमुख विपक्षी दल का वोट शेयर करीब-करीब स्थिर रहा है। आमतौर पर जब जनता का रूख एक तरफ रहता है तो जीती हुई पार्टी का वोट शेयर उसके सबसे प्रमुख विपक्षी दल के वोट शेयर से ही कम होकर उसकी तरफ जाता है। इसका सीधा मतलब यह ही है कि इस के बार मध्यप्रदेश चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर स्थिर रहा है और भाजपा का जो वोट स्विंग पिछली बार से 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, यह बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के वोटों से कट के नहीं मिला है जोकि अपने आप में संदेहास्पद नज़र आ रहा है क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में शायद इस तरह का परिणाम पहली बार आया है। अगर भारत के चुनावों पर शोध किया जाये चाहे 1977 का आम चुनाव हो, 2004 का आम चुनाव, 2010 का तृणमूल पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव, 2011 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, 2012 का दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2014 का आम चुनाव, 2003 का मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को देखा जाये तो इन सभी चुनावों में पार्टियों द्वारा एकतरफा जीत हासिल की अर्थात क्लीन स्वीप किया पर इनके वोट प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई वह उनके प्रमुख विपक्षी दल के वोट शेयर से सेंधमारी करके ही आता है। भारत के इतिहास में पहली बार मध्यप्रदेश में ऐसा हुआ है जब इसने 2023 विधानसभा चुनावों में क्लीन स्वीप करते हुये 163 जीतीं और अपना वोट शेयर पिछले चुनावों के मुकाबले 7.6 प्रतिशत वोटों की बढ़ोतरी किन्तु यह बढ़े हुये वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के नहीं होते हुये एकदम नये हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट शेयर को मेंटेन रखा। जिस हिसाब से भाजपा का वोट शेयर में अकस्मात इजाफा हुआ उससे करीब-करीब प्रदेश की हर विधानसभा सीटों पर 18504 वोट भाजपा के खाते में अतिरिक्त तौर पर गये जोकि कांग्रेस पार्टी के वोटों से कट कर नहीं गये। पूरे मामले को गौर से देखा जाये तो चुनाव में स्टेटिसकली वोट बढ़ाये गये ऐसा प्रतीत होता है जबकि भारत के पूरे के पूरे लोकतांत्रिक इतिहास में क्लीन स्वीप करके जीतने वाली पार्टी अपने प्रमुख विपक्षी दल के वोटों में सेंधमारी कर के ही अपना वोट शेयर बढ़ाती है।

यूनिट होती हैं। कंट्रोल यूनिट और बैलटिंग यूनिट। दोनों यूनिट 05 मीटर लंबे एक केबल से जुड़ी होती है। कंट्रोल यूनिट बूथ में मतदान अधिकारी के पास रखी होती है जबकि बैलटिंग यूनिट वोटिंग मशीन के अंदर होती है जिसका इस्तेमाल वोटर करता है।

भारत में ईवीएम का निर्माण

ईवीएम 6 वोल्ट के एक साधारण बैटरी से चलता है जिसका निर्माण "भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर" और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा किया जाता है। चूंकि यह बैटरी से चलता है जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जाता है, साथ ही कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने का भी डर नहीं रहता है। एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकार्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में अधिकतम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक मतदान इकाई में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 04 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए पारंपरिक मतपत्र या बॉक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मशीन के बटन को बार-बार दबाकर एक बार से अधिक वोट करना संभव नहीं है,

वोट प्रतिशत से बदलती सियासत की तस्वीर...

क्र	चुनाव का विवरण	जीतने वाली पार्टी	जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर प्रतिशत में	जीतने वाली पार्टी का पिछला वोट शेयर प्रतिशत में	हारने वाली पार्टी	हारने वाली पार्टी का वोट शेयर	हारने वाली पार्टी का पिछला वोट शेयर
1	1977 लोकसभा आम चुनाव	जनता पार्टी	41.32	20.33	कॉँग्रेस	34.52	43.68
2	2003 मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव	भाजपा	42.50	39.28	कॉँग्रेस	31.61	40.59
3	2011 पश्चिम बंगाल	तृणमूल कांग्रेस	38.93	26.64	सीपीआई, कांग्रेस	39.17	51.84
4	2012 का दिल्ली विधानसभा चुनाव	आम आदमी पार्टी	29.5	0	कॉँग्रेस, बीजेपी	57.6	76.34
5	2014 लोकसभा आमचुनाव	एनडीए	31	18.80	यूपीए	19.31	28.55
6	2014 विधानसभा चुनाव	भाजपा	33.20	9.04	कॉँग्रेस	20.58	35.08
7	2018 मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव	कॉँग्रेस	40.89	36.38	बीजेपी	41.02	44.88

क्योंकि मतदान इकाई में किसी उम्मीदवार के नाम के आगे अंकित बटन को एक बार दबाने के बाद मशीन बंद हो जाती है।

ईवीएम की प्रामाणिकता पर प्रश्न क्यों?

गौरतलब है कि समय-समय पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने ईवीएम की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए हैं, लेकिन हाल ही में कुछ तकनीकी खामियों को रेखांकित करते हैं, जो इस प्रकार हैं:- प्रथम, ट्रोजन जैसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस को ईवीएम के सिस्टम में डालकर उसमें लगे चिप के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है अथवा उसके समूचे मदरबोर्ड (जिसके अंतर्गत चिप होता है) को ही बदला जा सकता है। दूसरा, बैलट एवं कण्ट्रोल यूनिट को जोड़ने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करके भी ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है।

संदेह के घेरे में ईवीएम की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता पर उठते सवालों पर चुनाव आयोग की निष्क्रियता

VVPAT

EVM
LOOT-US
Every Vote to MODI

घोटालों का राज्य है झारखंड!

समता पाठक

आदिवासियों के नाम पर झारखंड राज्य बिहार से तोड़कर अलग बनाया गया था। गरीबों और आदिवासियों की राजनीति करने वाला सोरेन परिवार झारखंड स्टेट बनते ही यहां राजनीति ही नही राज्य का भी सर्वेसर्वा हो गया है। झारखण्ड मुक्तिमोर्चा के नाम पर पहले शिबू सोरेन सीएम रहे और अब परिवारवाद में उनके बेटे हेमन्त सोरेन सीएम बने। सेना की जमीन बेचने की गैर कानूनी गतिविधि में ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। ईडी ने हेमन्त सोरेन को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। घोटाले में फंसने के बाद वे बिहार के घोटालेबाज लालू यादव की तरह ही अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की फिराक में थे। इसके लिए विधायकों से पत्र भी लिखवा लिया गया था। किन्तु अब पार्टी में विद्रोह के डर से चम्पाई सोरेन का नाम सामने आया और चंम्पाई सोरेन झारखंड में सीएम बनाए है। चम्पाई सोरेन चम्पई सोरेन शिबू सोरेन परिवार के तो नही पर शिबू सोरेन के साथी हैं। वर्तमान में हेमन्त सोरेन सरकार के मंत्री भी थे।

झारखंड घोटालों का राज्य है और यहां आरोप हैं कि घोटालों से सोरेन परिवार ने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर राजनीति चमकाने वाले सोरेन परिवार में शिबू सोरेन हो या हेमन्त सोरेन या फिर उनके परिवार के बसंत सोरेन, सीता सोरेन हर किसी के नाम घोटाले दर्ज हैं। बात शिबू सोरेन की हो तो वे झारखण्ड बनने से पहले 1993 में केंद्र की पीवी नरसिंहराव सरकार में कोयला मंत्री रहे

हैं। केंद्र सरकार को समर्थन देने जेएमएम के सांसदों की सौदेबाजी में कैश फॉर वोट का चलन शिबू सोरेन से ही शुरू हुआ। माना जाता है। इसमे कोई दो मत नही है कि झारखंड में घोटालों की नींव पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने ही रखी हैं। कोयला मन्त्री रहते हुए ही भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। झारखण्ड राज्य उनके हाथ आया तब हजारों करोड़ का कोयला घोटाला, अवैध माइनिंग, और अब जमीन घोटाले में सोरेन परिवार फंसा है। वर्तमान में राज्य के सीएम हेमंत सोरेन सेना की जमीन बेचने के घोटाले में जमीन पर आ गए हैं। जमीन घोटाला भी छोटा-मोटा नही बल्कि एक हजार करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है। आरोप है कि राज्य में सरकार के रहते रजिस्टार के माध्यम से जाने कितनी जमीनें सोरेन परिवार ने तरह-तरह के नामों से बेचकर हजारों करोड़ रूपया बनाए हैं। इस घोटालों को पकड़ने की शुरुआत सोरेन सरकार की अफसर मनीषा सिंघल के पास से 18 करोड़ रुपया कैश मिलने से हुई थी। पूछताछ में इस अफसर ने ही सबसे पहले जमीन घोटाले का हिंट दिया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इससे जुड़ा होना बताया था। ईडी की जांच एक दिन की नही बल्कि लंबे समय की है। वो तो ईडी ने अभी केवल सेना की जमीन बेचने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को आरोपी बनकर अरेस्ट किया है। घोटाले और उनकी फेहरिस्त काफी लंबी है। हेमंत सोरेन के कारण दिल्ली के बंगले में ईडी के छापे में 36 करोड़ कैश मिले थे। जिसे सोरेन परिवार पार्टी फंड बता रहा था। बहरहाल ईडी की पूछताछ और चार्जशीट से सही तथ्य सामने आएंगे कि आखिर झारखण्ड में चल क्या रहा था। फिलहाल इस घोटाले से राज्य की सरकार ही संकट में है। हेमन्त सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद जेएमएम ही नही सोरेन परिवार की कलह भी सामने आ रही है।

चम्पई सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन यह सत्य है कि जमीन घोटाले ने झारखण्ड में हेमन्त सोरेन सरकार को ही जमीन पर ला दिया है। स्थिति के अनुसार झामुमो नेता चंपई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बनना तय था। महागठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। इसका समर्थन पत्र ही गवर्नर को दिया गया था। 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत के लिए 43 विधायकों की जरूरत है। गठबंधन के पास 48 विधायक हैं। इनमें से 43 सदस्य चंपई सोरेन के साथ राजभवन पहुंचे थे। जिनमें झामुमो के 29, कांग्रेस के 17, राजद का एक और सी पी आई का एक विधायक हैं।

महाराष्ट्र में शीघ्र आएगा सियासी भूकंप! पूर्व सीएम सहित 14 विधायक छोड़ेंगे कांग्रेस?

सुदर्शन चक्रधर

बीते डेढ़ साल में महाराष्ट्र राज्य दो बार सियासी भूकंप झेल चुका है. पहली बार एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना दो-फाड़ हुई और दूसरी बार अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी दो टुकड़े हो गई। जाहिर है कि अब बारी कांग्रेस की है, और हां, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के ही एक वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता जो कि राज्य में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। वे कह रहे हैं तब तो बात में दम लगता है। आईए देखते हैं कि वह सियासी भूकंप कैसे होगा? क्या इस भूकंप में कांग्रेस के 14 विधायक टूट कर बीजेपी या शिंदे की शिवसेना अथवा अजित पवार की एनसीपी में चले जाएंगे? और क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, आसन्न लोकसभा चुनाव के साथ ही निपटा लिए जाएंगे?

कांग्रेस में विभाजन की बुनियाद तो उसी दिन रख दी गई थी, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर भाजपा के समर्थन से अपनी सरकार बनाई थी। उस सरकार के फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के 10 विधायक नहीं पहुंच पाए थे। इनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी शामिल थे तब उन्होंने बताया था कि वे और उनके साथी 10 विधायक किसी कारणवश लेट हो गए और सदन का गेट समय पर बंद हो गया था। यह बेहद रहस्यपूर्ण बात थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री समय पर सदन में कैसे नहीं पहुंच पाए थे? हालांकि तब शिंदे सरकार को जीतना ही था और तब वह जीत भी गई, लेकिन राज्य कांग्रेस में तभी से खलबली

मची हुई है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है और अब तो सरेआम ऑपरेशन लोटस की तैयारी चल रही है।

इसी का एक नमूना कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के रूप में दिल्लीश्वरों ने पेश किया है। ये मिलिंद देवड़ा, कांग्रेस के स्टार नेता राहुल गांधी के बहुत खास मित्र थे। लेकिन उन्होंने कांग्रेस के रवैये और नीतियों से तंग आकर पार्टी को 'राम-राम' कर दिया और शिंदे एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। जब मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में शामिल हुए, उस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवड़ा का स्वागत करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि यह तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है! इसका मतलब यह हुआ कि शिवसेना या भाजपा में कांग्रेस के कुछ और बड़े नेता या विधायक शामिल हो सकते हैं! यह चर्चा पिछले साल भर से चल रही है कि महाराष्ट्र कांग्रेस में इस समय कम से कम 14 विधायक असंतुष्ट हैं और वे कांग्रेस से पलायन कर भाजपा या शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। इनमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है।

बताते हैं कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते हैं और जिसकी सुनते हैं, वे किसी और की नहीं सुनता! चर्चा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले से भी उन्हीं की पार्टी के 14 विधायक नाराज चल रहे हैं। तो क्या यही 14 विधायक, आने वाले कुछ समय में पहला बदलकर सत्ता पक्ष के खेमे में चले जाएंगे?

उधर, राज्य के एक और पूर्व मुख्यमंत्री तथा वयोवृद्ध वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे के भी बीजेपीवासी होने की चर्चा चल रही थी। इस सिलसिले में महाराष्ट्र के मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल

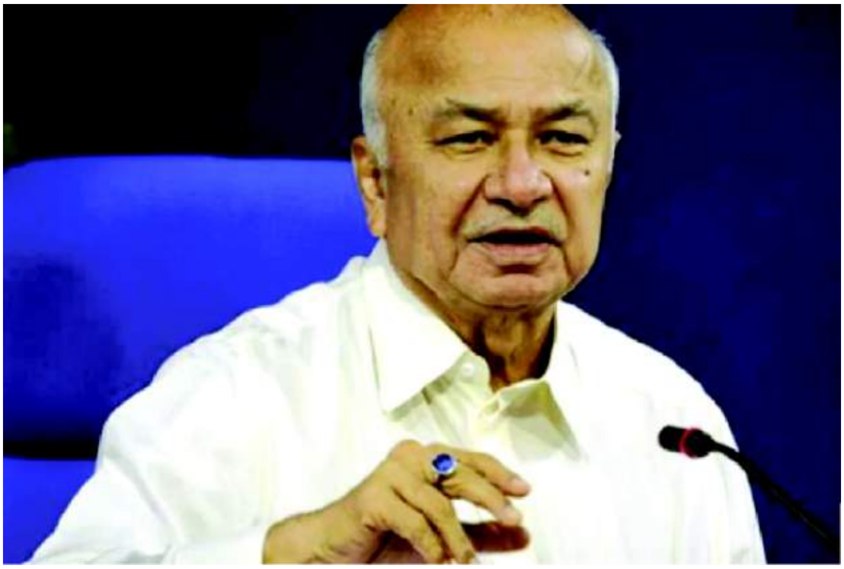

उनकी विधायक-पुत्री प्रणीति शिंदे को भाजपा से ऑफर तो है, लेकिन उन्होंने फिलहाल मना कर रखा है और वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। हालांकि ऐसा सभी बड़े नेता कहते हैं, लेकिन वक्त आने पर पाला बदलने में देर नहीं करते।

ने सुशील कुमार शिंदे से हाल ही मुलाकात भी की थी। इस बारे में सुशील कुमार शिंदे का कहना है कि उन्हें और उनकी विधायक-पुत्री प्रणीति शिंदे को भाजपा से ऑफर तो है, लेकिन उन्होंने फिलहाल मना कर रखा है और वे कांग्रेस में ही बने रहेंगे। हालांकि ऐसा सभी बड़े नेता कहते हैं, लेकिन वक्त आने पर पाला बदलने में देर नहीं करते।

इधर, इसी स्थिति पर राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी ने चिंता जताते हुए कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, वह तो अफसोस की बात है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि ज्यादातर वे लोग जा रहे हैं, जो सरकार रहने पर तो कांग्रेस के साथ रहे और अब सरकार नहीं है, इसलिए छोड़कर जा रहे हैं। इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए।

एक और बड़ी बात यह है कि देश में इन दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा चल रही है तो क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, लोकसभा के आगामी चुनाव के साथ ही हो जाएंगे? इस पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायकों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से विपरीत आया, और उनको अयोग्य विधायक करार दिया गया, तो उस समय यह सरकार अस्थिर हो जाएगी और उसकी बहुत भद पिटेगी। तब विधानसभा भंग करके शिंदे एंड कंपनी मोदी के नाम पर हो रहे लोकसभा चुनाव में जाने की तैयार हो जाएगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चर्चा में कितना दम है?

बिहार का सियासी खेलाः नीतीश के फिर एनडीए में जाने से विपक्ष को झटका, इंडिया गठबंधन पर नई आफत

पहले राजद के नितीश कुमार

अब बीजेपी के नितीश कुमार

हिमांशु मिश्र

पहले ममता बनर्जी और फिर नीतीश कुमार। विपक्षी इंडी गठबंधन के दो सबसे अहम सूत्रधारों के किनारा करने से न सिर्फ विपक्ष की एकता धड़ाम हुई है, बल्कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष की संभावनाओं को भी ग्रहण लग गया है। सपा और आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की जारी खटपट के बीच अब सबकी निगाहें एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर टिकी हैं। बिहार में हुए सियासी खेला के बाद पवार के हृदय परिवर्तन की चर्चा तेज है। नीतीश का पाला बदल विपक्षी गठबंधन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। नीतीश न सिर्फ इस गठबंधन के सूत्रधार थे, बल्कि राज्य में राजद, कांग्रेस और वाम दलों का महागठबंधन जातिगत समीकरणों में बेहद मजबूत होने के कारण भाजपा के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी था। अब नीतीश के राजग में आने के बाद बिहार में विपक्ष की संभावनाओं पर ग्रहण लग गया है।

मुख्य मुद्दे की धार भी कुंद

वह नीतीश ही थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार की थी। उन्हीं की अगुवाई में बिहार में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया। दबाव में राजग के सहयोगी दलों ने भी केंद्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग शुरू कर दी। अब जबकि इस मुद्दे के सूत्रधार नीतीश ही भाजपा के साथ आ गए हैं, तब विपक्ष के मुख्य मुद्दा के चमक खोने की संभावना बन गई है।

पवार पर बढ़ा दबाव

नीतीश के पाला बदलने और ममता का विपक्षी गठबंधन से दूरी बढ़ाने के बाद शरद पवार दबाव में हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और पवार के भतीजे उन्हें साधने की नए सिरे से कोशिश कर रहे हैं। दबाव में शिवसेना यूटीबी के मुखिया उद्धव ठाकरे भी हैं। हालांकि भाजपा की अब उनमें नहीं बल्कि सिर्फ पवार में दिलचस्पी है। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि पवार से नए सिरे से शुरू हुई बातचीत सकारात्मक है।

नीतीश सबकी जरूरत क्यों ?

तमाम खट्टे अनुभवों के बाद भी भाजपा ने नीतीश को फिर से सीएम बनाने की शर्त मान ली। राजद, कांग्रेस और वाम दल के नेता भी अंत समय तक नीतीश को मनाने की कोशिश करते रहे। वह सिर्फ इसलिए की नीतीश राज्य में सत्ता की गारंटी हैं। बीते दो दशकों से नीतीश जिसके साथ रहे हैं उसका राज्य में पलड़ा भारी रहा है। नीतीश के साथ आने से गठबंधन का वोट प्रतिशत बारह प्रतिशत बढ़ जाता है।

विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा- नड्डा

बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एनडीए में नीतीश का वापस आना हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। एनडीए सरकार में विकास को गति मिलेगी। बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा रही थी। हमारा गठबंधन बिहार में विकास के लिए जरूरी है।

सम्राट चौधरी: राबड़ी और मांझी सरकार में भी रहे मंत्री

ओबीसी नेता सम्राट चौधरी करीब सात पहले भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान बिहार की राजनीति और प्रदेश भाजपा में चौधरी तेजी से एक बड़े नेता के रूप में उभरे। सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो की पत्नी राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में राजनीति में कदम रखा था। सम्राट 2005 में सत्ता से बेदखल होने के बाद काफी समय तक राजद के साथ रहे लेकिन 2014 में एक विद्रोही गुट का हिस्सा बने और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली जदयू सरकार में शामिल हुए। भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और बाद में उन्हें बिहार विधान परिषद में भेजा। वर्ष 2020 में उन्हें नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह मिली। सम्राट चौधरी को पिछले साल मार्च में राज्य भाजपा का अध्यक्ष नियुक्तकिया गया।

विजय सिन्हा- जमीन स्तर से उठे, विस अध्यक्ष तक रहे

उच्चा जाति से आने वाले भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और सदन में नेता विपक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। बिहार में एक शिक्षक के यहां जन्म लेने वाले सिन्हा ने जमीनी स्तर से अपनी राजनीति शुरू की। प्रभावशाली भूमिहार समुदाय से आने वाले सिन्हा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे। 2010 से सिन्हा लखीसराय सीट से तीन बार विधायक चुने गए। साल 2017 में वह पहली बार नीतीश कुमार की सरकार में श्रम संसाधन मंत्री बने। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें विधानसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया।

राजद ने नीतीश को गिरगिट बताया कांग्रेस बोली, आया राम-गया राम

नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सत्ता से हाथ धोने वाले राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जदयू आगामी लोकसभा चुनावों में खत्म हो जाएगा। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने नीतीश को सम्मानित, लेकिन थका हुआ नेता बताया। भाजपा को चेताते हुए तेजस्वी ने कहा कि जदयू प्रमुख को सहयोगियों के साथ काम का श्रेय साझा करना पसंद नहीं है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि नीतीश को बार-बार अपनी राजनीतिक वफादारी बदलने के लिए गिरगिट रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए।

पहले से ही पता था : कांग्रेस

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नीतीश देश में आया राम गया राम नेताओं की तरह हैं। तेजस्वी ने पहले ही बता दिया था कि वह ऐसा करने वाले हैं।

जनता सबक सिखाएगी: पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने कहा कि जनता नीतीश को जरूर सबक सिखाएगी। पवार ने कहा, मुझे याद है कि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने सभी गैर-भाजपा दलों को पटना बुलाया था। पिछले 10-15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये विचारधारा छोड़ दी और आज वो भाजपा के साथ हो गए और सरकार बना ली।

विश्वासघात का नया रिकार्ड : सपा

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जामेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, विश्वासघात का नया रिकार्ड बन गया है। जनता इसका जवाब देगी। जो चुनाव होने जा रहे हैं, वह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं। हमारी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीट बंटवारे की घोषणा करके एक मॉडल पेश किया है। कांग्रेस के साथ दूसरे दौर की बातचीत चल रही है।

गठबंधन में नीतीश को शुरू से थी दिक्कत : द्रमुक

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के नेता टीआर बालू ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश हिंदी में बात करने पर जोर देते रहे और हम गठबंधन में सौहार्द के लिए इसे बर्दाश्त करते रहे। नीतीश को गठबंधन में शुरूसे ही कुछ दिक्कत थी। उनके निकलने से कोई असर नहीं पड़ेगा।

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्राः कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को कितना फायदा

दीपक मंडल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस की शुरूआती पसंद राजधानी इंफाल के बजाय थौबल जिले से शुरूकिया है। 14 जनवरी से शुरू हुई ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से थोड़े दिनों पहले तक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक एक साल पहले खत्म हुई थी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते महाराष्ट्र में मुंबई पर समाप्त होगी। इस दौरान वह 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 जिलों से गुजरेंगे। यात्रा मणिपुर से शुरू होकर नगालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात से गुजरते महाराष्ट्र में मुंबई पर समाप्त होगी। इस दौरान वह 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे।

क्या है भारत जोड़ो न्याय यात्रा ?

कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तानाशाही के प्रति जागरूक किया है। वहीं भारत न्याय यात्रा पर जोर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय पर होगा। देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की राजनीतिक छवि निखारने में अहम भूमिका निभाई थी। कई लोग मानते हैं कि शुरू में इस यात्रा को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। राहुल गांधी ने इस यात्रा में बेरोजगारी, किसानों की दिक्कत, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार, भ्रष्टाचार

और गवर्नेंस का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कर्नाटक और तेलंगाना में खासा समय बिताया था। तेलंगाना में ये यात्रा 15 दिन चली थी। कर्नाटक में राहुल ने 22 दिन बिताए थे। राजस्थान के छह जिलों में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 16 दिनों तक चली थी। मध्य प्रदेश में 12 दिनों तक ये यात्रा चली थी। राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस को इस यात्रा का चुनावी फायदा नहीं मिला। हालांकि कई लोग मानते हैं कि इस यात्रा से कांग्रेस के समर्थकों कैडरों का उत्साह जरूर बढ़ा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस से ज्यादा राहुल को फायदा हुआ। इस यात्रा ने राहुल की छवि बदल दी। लोग अब उन्हें गंभीरता से लेते हैं और सुनते हैं। वो कहते हैं, इस लंबी यात्रा ने राहुल को काफी थका भी दिया था। इसलिए पिछली यात्रा की तरह इस बार इस यात्रा का एक बड़ा हिस्सा वाहनों से होगा। ये तीन चार महीने लंबी यात्रा नहीं होगी। और इसमें पिछली यात्राओं की कमियों से सबक लिया जाएगा।

भारत न्याय यात्रा से क्या मिलेगा ?

द हिंदू बिजनेसलाइन की राजनीतिक संपादक पूर्णिमा जोशी कहती हैं, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के लिए भी बेहतर नतीजे दे सकती है। क्योंकि राहुल गांधी अलग तरह के राजनीतिक नेता हैं। वह एक स्टेट्समैन राजनीतिज्ञ की तरह दिखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी पद छोड़ दिया है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं ये भी पता नहीं। वो कहती हैं, राहुल जनहित के मामलों के मुद्दे उठाते हैं और काफी मुखर होकर बोलते हैं। उद्योग घरानों के भ्रष्टाचार या प्रधानमंत्री पर वह काफी स्पष्ट बोलते हैं। ऐसा करने वाले वे अकेले विपक्षी नेता हैं। हालांकि शरद गुप्ता कहते हैं कि भारत न्याय यात्रा की चुनावी सफलता इस दौरान उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करेगी। वो कहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे लेकिन राहुल हिमाचल और गुजरात को छोड़ कर कहीं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। हालांकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो जाएगी और राहुल को कैंपेनिंग का पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन इस यात्रा का चुनावी फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि मुद्दे कितने स्पष्ट तरीके से उठाए जाते हैं। क्योंकि भारत यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों में स्पष्टता नहीं थी। शरद गुप्ता कहते हैं, भारत न्याय यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए जाने हैं वो ऐसे

नहीं हैं जो लोगों को बहुत भावनात्मक तौर पर छुए। भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नारा दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी इस नारे को पिछले काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं, लालकृष्ण आडवाणी ने जब रथयात्रा की थी तो अयोध्या का राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा था। उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील नहीं की थी लेकिन इस मुद्दे का फायदा पार्टी को मिला। इसलिए मुद्दा काफी अहम है।

भारत न्याय यात्रा इंडिया अलायंस को फायदा दिलाएगी

भारत न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहां कांग्रेस और इंडिया के सहयोगियों से सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती है। जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडिया के सहयोगी दलों में शामिल दलों के बीच सीटों का तालमेल एक बड़ा मुद्दा हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखने की बात होगी कि राहुल की इस यात्रा को इंडिया के सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इसी यात्रा के दौरान अलग-अलग जगहों पर संयुक्त रैली करेंगे। सवाल ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सहयोगी आपसी खींचतान से उपर उठकर इस यात्रा का अपने पक्ष में किस हद तक इस्तेमाल कर चुनावी फायदा मिल सकते हैं। इस सवाल के जवाब में पूर्णिमा जोशी कहती हैं, राजनीतिक दलों को जनसंपर्क अभियानों का फायदा मिलता है। कांग्रेस को भी मिलेगा। लेकिन विपक्ष के पास न तो कोई लीडरशिप है और न कोई राजनीतिक कार्यक्रम। यहां तक इनके बीच सीटों के तालमेल को लेकर भी कोई खास संजीदगी नहीं दिखती, जबकि बीजेपी के पास ये सभी चीजें हैं। ऐसे में न्याय यात्रा का फायदा बहुत ज्यादा होगा कहा नहीं जा सकता।

कांग्रेस कहां चूक रही है ?

विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष का काम है सरकार की खामियों को गिनाना और गवर्नेंस का एक वैकल्पिक मॉडल देना। कांग्रेस थोड़ी-बहुत खामियां तो गिना देती है लेकिन वैकल्पिक मॉडल नहीं दे पा रही है। शरद गुप्ता कहते हैं, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के पीएम किसान योजना के छह हजार रुपये के बदले सालाना 72 हजार रूपये देने का वादा किया। लेकिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसलिए यहां विश्वसनीयता का भी संकट का

भी मामला है। वो कहते हैं, कांग्रेस बीजेपी के प्रचार का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जैसे मनरेगा, आधार जैसे कांग्रेस के चलाए गए कार्यक्रम को भी लोग ये मानने लगे हैं कि ये मोदी जी ने चलाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को पिछले दस साल से ये सोचते आ रहे हैं कि लोग मोदी सरकार से जब नाराज होंगे तो एक दिन हमारे पास आएंगे। शरद गुप्ता ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से आज मेहनत कर रहे हैं उसी तरह दस साल पहले शुरूकिया होता तो शायद 2019 की तस्वीर कुछ और रहती। उनके मुताबिक विपक्ष एक्टिव कैंपेनिंग के बदले पैसिव फेवरिज्म चाहता है। राजनीति में जब तक पार्टियां सक्रिय नहीं होंगी और अपना कार्यक्रम और काम लेकर लोगों के पास नहीं जाएंगी तब तक मतदाता उनके पीछे नहीं आएंगे।

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा व भारत न्याय यात्रा में क्या है अंतर?

कांग्रेस ने जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपनी भारत यात्रा के चरण 2 का जो ऐलान किया, वह भारत जोड़ो यात्रा का अगला चरण होने के बावजूद कई मायनों में उससे अलग है। यह अंतर यात्रा के स्वरूप से लेकर उसकी थीम तक में है। जहां पहले चरण में भारत को जोड़ने की बात कही गई थी, वहीं दूसरे चरण में न्याय की बात कही गई है। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो यह फर्क उल्लेखनीय हैं। पहली यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर निकाली गई थी, जो कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में खत्म हुई थी। राहुल गांधी की यह यात्रा पूरी तरह से पैदल यात्रा थी, जिसमें वह लगभग रोज 25 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। लगभग साढ़े चार महीने की यात्रा में कांग्रेस नेतृत्व ने तकरीबन 3600 किलोमीटर की दूरी तय की। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरी। दूसरी ओर न्याय यात्रा पूरब के मणिपुर से शुरू होकर पश्चिम में मुंबई में खत्म होगी। यह यात्रा हाइब्रिड मोड में ज्यादातर बसों व कुछ हिस्सों में पैदल पूरी होगी। 6600 किमी की यात्रा दो महीने में पूरी होगी, जो 14 राज्यों व 85 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य मकसद देश में बढ़ रही नफरत, डर और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई थी। कांग्रेस ने इसे समाज को तोड़ने व बांटने वाले कारक करार देते हुए देश को जोड़ने की बात कही थी। कांग्रेस का दावा है कि न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस देश में सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के हक की आवाज बुलंद करेगी। इसमें देश के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि मोदी सरकार के दौर में देश में आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर न्याय यात्रा का नाम देकर कांग्रेस कहीं न कहीं 2019 चुनावों के अपने मूल नारे न्याय योजना को रेखांकित करना चाहती है, जिसमें उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर गरीब परिवार हर साल 72 हजार रूपये देने का वादा किया था। हालांकि पार्टी को पिछली बार करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस अपनी उस योजना को जमीन पर ठीक तरह से उतार नहीं पाई। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने दो आम चुनावों के बीच में कुछ राज्यों के असेंबली चुनावों के मद्देनजर की थी, जबकि यह यात्रा आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी असर कांग्रेस के लिए मिला जुला रहा। जहां वह उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही तो वहीं राजस्थान व छत्तीसगढ़ जैसे दो मजबूत प्रदेशों से उसकी सत्ता जाती रही।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की उठने लगी मांग

केन्द्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में प्रदेश के कई अफसर

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ में परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की मांग उठने लगी है। आधा दर्जन आईपीएस के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले सुर्खियों में हैं। छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरों में है। यह अधिकारी भ्रष्टाचार और गंभीर कदाचारों के मामलों को लेकर अखिल भारतीय सेवाओं की साख पर बट्टा सा लगा दिया है, वहीं राज्य सरकार की छवि पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। राज्य में लगभग आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी हैं, जिनके क्रियाकलापों में भ्रष्टाचार को लेकर मामला कायम होने से सरकार की छवि धूमिल हुई है। राजनीति और अपराध के गढ़जोड़ से ऐसे अफसरों ने मलाईदार पदों पर बने रहने के लिए कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। उनके

कारनामों से अखिल भारतीय सेवाओं की विश्वसनीयता पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। प्रदेश की जनता का पढ़ा-लिखा अब मानने लगा है कि यूपीएससी के जरिए चयनित होने वाले अफसर भ्रष्टाचार करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, न कि कानून लागू करने पर।

छत्तीसगढ़ में ऐसे अफसरों की तादात लगातार बढ़ती जा रही है, जो राजनेताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक मामलों को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में आईपीएस अफसरों के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज हो रही हैं। यहां तक कि उनके ठिकानों पर आयकर और ईडी जैसी केन्द्रीय एजेंसियों ने छापेमारी कर कई बढ़े खुलासे किए हैं। ताजा मामला राज्य अपराध अनुसंधान ब्यूरो में दर्ज एफआईआर का है। जिसमें कई आईएएस/आईपीएस और राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या एफआईआर आर्थिक मामलों की जांच करने वाले देश की सबसे बड़ी एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय में दर्ज की है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भूमिका को लेकर पहले से ही कई विवाद सुर्खियों में रहे हैं। ऐसे विवादों को लेकर यूपीएससी को और केन्द्र सरकार को भी प्रशासनिक और अदालती आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। अदालत में चुनौती दिये गये ज्यादातर मामले अखिल भारतीय सेवाओं के भ्रष्ट आचरणों से जुड़े हुए थे।

छत्तीसगढ़ में 2200 करोड़ के शराब घोटाले और मॅनी लार्डिंग के अपराधों की जड़ें आईएएस/आईपीएस अफसरों के ठिकानों तक फैली हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा के खिलाफ ईडी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वह शराब घोटाले से जुड़ी है। इस एफआईआर को दर्ज करवाने से पहले ईडी

ईओडब्ल्यू में आईजी के पद पर तैनात रहते आरिफ शेख ने कई भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों का करवाया था एकतरफा खात्मा

आनंद छाबड़ा ने एसएस फंड में की करोड़ों की हेराफेरी, क्या होगी कार्यवाही?

अपना तो परिवहन से ही होता है जीवन निर्वहन

ने काबरा के भिलाई, दुर्ग और रायपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्र बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में काबरा ने बड़े पैमाने पर चल-अचल संपत्ति में निवेश किया है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि छापेमारी के दौरान मिली एक पेन ड्राईव में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी एजेंसियों को मिली हैं। यह भी चर्चा है कि मामले को निपटाने को लेकर एक राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष से काबरा ने मुलाकात भी की थी। दीपांशु काबरा उस समय सुर्खियों में आये जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें मलाईदार पदों की कुर्सी एक साथ सौंप दी थी। पहले उन्हें परिवहन आयुक्त बनाया था। इसके बाद जनसंपर्क विभाग की बांगडोर भी सौंप दी गई थी। उनकी क्रियाकलापों से दोनों विभागों में अरबों रुपयों की लेन-देन की खबरें आ रही थी। भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले को लेकर काबरा के खिलाफ मांग उच्च स्तर पर उठ रही हैं। सूत्र बताते हैं कि अकेले जनसंपर्क विभाग में करीब-करीब 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की छवि निखारने के लिए सरकारी तिजोरियों से जनता की रकम पानी की तरह बहाई गई थी। काबरा के चलते कई पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की नौकरियों पर भी संकट आया था। पीड़ित पत्रकार बताते हैं कि उन्हें सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया करते थे क्योंकि उनकी लेखनी उनको पंसद नही थी। उनके मुताबिक अनुचित रूप से मोटे विज्ञापन और प्रचार-प्रसार के ठेके देकर अपात्र मीडिया संस्थानों को अपकृत किया गया है। काबरा ने सरकारी रकम का भी बेजा इस्तेमाल अपने कार्यकाल के दौरान किया है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक मीडिया मैनेजमेंट को लेकर अरबों का घोटाला सामने आया। कई पत्रकारों को ईडी ने शिकायती पत्र सौंपकर जनसंपर्क विभाग के ठेकों पर भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं। यही हाल परिवहन विभाग का भी बताया जाता है। बताया जाता है कि परिवहन विभाग की चेक पोस्ट, बैरियर लूट का अड्डा बन गये थे। परिवहन चौकियों में सिर्फ उन्हीं अधिकारियों को तैनाती दी जाती थी, जो अवैध वसूली को अंजाम दे सकते थे। काबरा के निर्देश पर बड़ी तादात में

अब बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कब कार्यवाही करते हैं?

गुंड़ों-बदमाशों की तैनाती परिवहन चौकियों में की गई थी। ये लोग ट्रक ड्राईवर, वाहन चालकों से मोटी रकम वसूला करते थे। ऐसी घटनाओं के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। परिवहन विभाग में तैनात किये गये इन गुंडों-बदमाशों के खिलाफ राज्य की विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज करवाई थीं। लेकिन आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा के चलते पीड़ितों को न्याय नही मिल पाया था। ऐसे पीड़ित अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से परिवहन आयुक्तके खिलाफएफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य में आईपीएस अधिकारियों की अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से जुड़े संगीन मामलों की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग उठ रही है। काबरा के अलावा 2005 बैच के आईपीएस आरिफशेख और आनंद छाबड़ा के खिलाफ भी उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है। इन दोनों अफसरों ने भी भ्रष्टाचार को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई है। ईओडब्लयू में आईजी के पद पर तैनात रहते आरिफशेख ने उन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों का एकतरफा खात्मा कर दिया, जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल में दर्ज किये गये थे। इन भ्रष्ट अफसरों से जमकर उगाही की गई थी और अदालत में खात्मा प्रकरण पेश कर दिया था। यही हाल 2001 बैच के आईपीएस आनंद छाबड़ा का बनाया गया था।

आनंद छाबडा ने किया एसएस फंड (मुखबिरी) का दुरूपयोग

एसएस फंड की एक बड़ी रकम नक्सल प्रभावी क्षेत्र में भेजे जाने के बजाय आनंद छाबडा ने खुद ही हथिया ली थी। बताया जाता है कि राज्य सरकार मुखबिरी फंड से प्रतिमाह करोड़ों रूपये विभिन्न मदों के खुफिया एजेंसी के अफसरों को सौंपती है ताकि पुलिस प्रशासन को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी समय पर प्राप्त हो सकें। लेकिन इस रकम का जमकर दुरूपयोग किया गया है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि एसएस फंड की बड़ी रकम साल दर साल आनंद छाबड़ा हड़प लिया करते थे। बताते हैं कि नक्सल प्रभावित इलाके हो या मैदानी जिलों में इसी फंड से नाम मात्र की रकम पुलिस अधिकारियों को जारी की जाती थी। उधर मुखबरी न मिलने से नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस का सूचना तंत्र विध्वंस हो गया था। इसका खामियाजा आम जनता और केन्द्रीय सुरक्षाबलों को भोगना पड़ा। कई जिलों में नक्सलियों ने आम जनता और केन्द्रीय सुरक्षाबलों के जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। बस्तर के कई पत्रकार और नक्सनली मामलों के जानकार बताते हैं कि एसएस फंड के दुरूपयोग करने से पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों को जानमाल का नुकसान उठाना पड़ा। एसएस फंड की रकम सही हाथों में पहुंचती तो आम जनता और पुलिसकर्मियों की जान बचाई जा सकती थी। महालेखाकार और केन्द्र सरकार से एसएस फंड की इंटरनल ऑडिट कराये जाने की मांग उठाई जा रही है। इसके लिए जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के लिए दिल्ली रवाना होने वाला है। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सौंपे जाने वाले ज्ञापन में दागी आईपीएस अधिकारियों को जल्द ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने की मांग की गई है। ताकि भ्रष्टाचार के समस्त मामलों की जांच निष्पक्ष कराई जा सके।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व अपनी जनसभाओं में भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का ऐलान किया था। राज्य के कई जनप्रतिनधियों ने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व अखिल भारतीय सेवाओं के दागी अधिकारियों को राज्य से बाहर किया जाये।

छत्तीसगढ़ के स्वाधीनता संग्राम के अमर नायक थे वीर नारायण सिंह

विजया पाठक

भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आजादी का प्रथम युद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1857 में लड़ा गया। छत्तीसगढ़ के रणबाँकुरों ने भी इस युद्ध में बहादुरी के साथ भाग लिया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम का मोर्चा सोनाखान के नारायण सिंह और सम्बलपुर के सुरेन्द्र साय ने संभाला था। वीर नारायण सिंह, वीर नायक के साथ-साथ साहसी, शक्तिशाली और कर्मठ क्राँतिकारी थे। एक ऐसा वीर जिसने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने प्राण तक को देश की आजादी के लिए न्यौंछावर कर दिया था।

छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में प्रमुख नाम है वीर नारायण सिंह का। जिन्होंने विरासत में मिली जमीदारी को छोड़ देशभर में चल रही आजादी की लड़ाई में अपने आपको झोंक दिया।

रायपुर के निकट सोनाखान एक जमींदारी थी। यहाँ विद्रोह की चिंगारी 1819 में ही लग चुकी थी। जब यहां के जमींदार रामराय था। उस समय कैप्टन मैक्सन की सेना के समक्ष उसे हार माननी पड़ी और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े।

नारायण सिंह का जन्म सन् 1795 में रायपुर जिले के बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत सोनाखान नामक स्थान में हुआ। उनके पिता श्री रामसाय एक स्वाभिमानी पुरुष थे, जिन्होंने सन् 1818-19 के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई परन्तु कैप्टन मैक्सन ने विद्रोह को दबा दिया। बिंझवार आदिवासियों के सामर्थ्य और

संगठन शक्ति से जमींदार रामसाय का दबदबा बना रहा और अंग्रेजों ने उनसे संधि कर ली।

परोपकारी, न्यायप्रिय तथा कर्मठ शासक होने के कारण अंचल के लोगों से मिलते तथा उनकी सहायता करते। सन् 1854 में अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद नए ढंग से टकोली नियत की गई, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। इससे रायपुर के डिप्टी कमिश्नर इलियट उनके घोर विद्रोही हो गए।

1830 में रामराय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नारायण सिंह को जमींदार बनाया गया है, यह रियासत पूर्णतः वन प्रदेश से घिरी हुई थी। कुछ साहूकारों के माध्यम से खाद्यान्य सामग्री पहुंचती थी।

नारायण सिंह रायपुर जिले के अंतर्गत सोनाखान नामक छोटी सी जमींदारी के

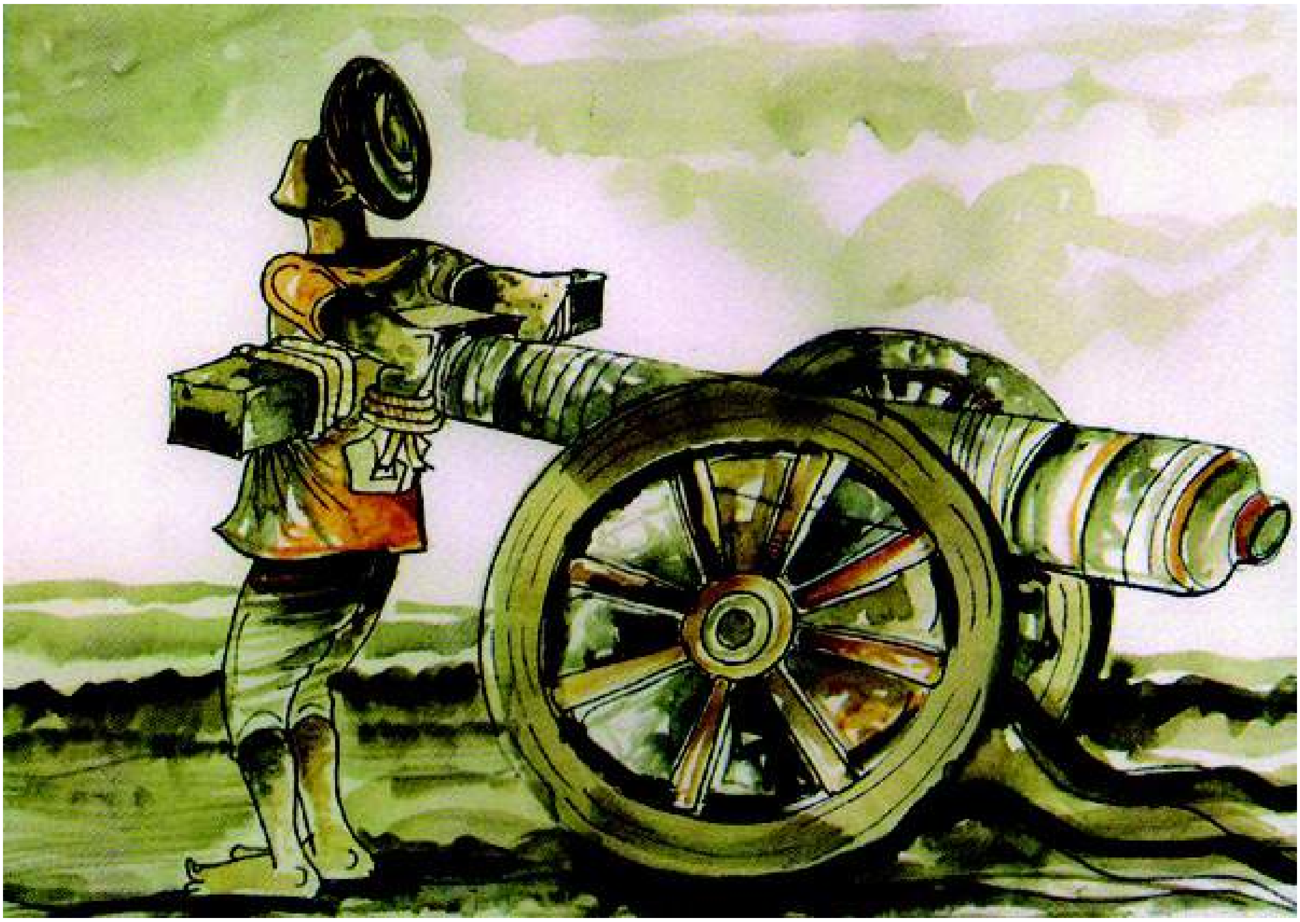

अत्यंत लोकप्रिय जमींदार थे। वे बिंझवार राजपूत थे। उनके पूर्वज रतनपुर के कलचुरी नरेशों की सेना के पराक्रमी योद्धा थे। उनकी वीरता और सैनिक सेवाओं से प्रसन्न होकर राजा बाहरेन्द्र साय ने उन्हें सोनाखान की जमींदारी प्रदान की थी।

जमींदार बनने के पश्चात् नारायण सिंह भी अपने पिता के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने खरौद और लवन परगना पर अपने अधिकार का दावा जारी रखा। इस क्षेत्र के जमींदार और किसान उनका प्रभुत्व स्वीकार भी करते थे। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत की परवाह नहीं थी। अंग्रेज उनके लिए सर्वथा अपरिचित और विदेशी थे। यह स्थिति अंग्रेजों के लिए सर्वथा असहाय थी। वे नारायण सिंह के मनोबल को तोड़कर उसकी लोकप्रियता और प्रभुता को नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहे थे।

भारत में अंगेजी साम्राज्य के विरुद्ध आजादी का प्रथम युद्ध राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1857 में लड़ा गया। छत्तीसगढ़ ने भी इस युद्ध में बहादुरी के साथ भाग लिया और ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता संग्राम का मोर्चा सोनाखान के नारायण सिंह और सम्बलपुर के सुरेन्द्र साय ने संभाला था। सम्बलपुर सन् 1905 तक छत्तीसगढ़ में ही था।

सन् 1856 ई. में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जब भयंकर अकाल पड़ा, नारायण सिंह को यह देखकर बहुत ही अजीब लगा कि व्यापारियों ने अनाज दबाकर रख लिया है। उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि लोग भूखों मर रहे हैं। मगर व्यापारी सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे थे। तब नारायण सिंह ने एक व्यापारी माखन के गोदाम का सारा अनाज किसानों को बांट दिया। अपनी इस कार्य की सूचना व्यापारी ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को भी दे दी। अंग्रेजी सत्ता तो नारायण सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये बहाना ढूंढ ही रही थी। जैसे ही व्यापारी ने शिकायत की, उनकी रिपोर्ट के आधार पर नारायण सिंह को 24 अक्टूबर 1856 ई. को सम्बलपुर में गिरफ्तार कर रायपुर जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजी सत्ता ने वीर नारायण सिंह पर लूटपाट और डकैती का आरोप लगाया। अकालग्रस्त किसानों के बारे में सोचने वाला नारायण सिंह को जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया और शोषक व्यापारियों

को संरक्षण दिया गया।

सन् 1857 ई. की बात है। नारायण सिंह, जिन्हें लोग वीर नारायण सिंह के नाम से जानने लगे थे। रायपुर जेल में सजा काट रहे थे। सारे देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विद्रोह की भावना भड़क रही थी। मई 1857 में मेरठ में मंगल पाण्डे ने विद्रोह किया। अंग्रेजी फौज़ के हिन्दू और मुसलमान सैनिकों में विद्रोह की अग्नि धधक उठी थी। रायपुर के सैनिक मौका ढूँढ रहे थे और जब लोगों ने जेल में बन्द वीर नारायण सिंह को अपना नेता चुना तो सैनिकों ने उनकी हर संभव सहायता की। इसी तरह सैनिकों और जनता की सहायता से वीर नारायण सिंह 28 अगस्त सन् 1857 ई. को जेल से भाग निकले। उस वक्त सम्बलपुर के क्रान्तिकारी सुरेन्द्र साय हजारीबाग जेल में थे। सुरेन्द्र साय 30 जुलाई 1857 को जेल से भाग निकले थे

सन् 1857 ई. की बात है। नारायण सिंह, जिन्हें लोग वीर नारायण सिंह के नाम से जानने लगे थे। रायपुर जेल में सजा काट रहे थे। सारे देश में अंग्रेजी सत्ता के विरोध में विद्रोह की भावना भड़क रही थी। मई 1857 में मेरठ में मंगल पाण्डे ने विद्रोह किया। अंग्रेजी फौज़ के हिन्दू और मुसलमान सैनिकों में विद्रोह की अग्नि धधक उठी थी। रायपुर के सैनिक मौका ढूँढ रहे थे और जब लोगों ने जेल में बन्द वीर नारायण सिंह को अपना नेता चुना तो सैनिकों ने उनकी हर संभव सहायता की।

और उनके भाग निकलने के महज 28 दिनों बाद नारायण सिंह भी रायपुर जेल से भाग निकले। वीर नारायण सिंह रायपुर जेल से भागकर सोनाखान पहुँचे। सोनाखान की जनता वीर नारायण सिंह को देखकर खुशी से झूम उठी। जनता का मनोबल लौट आया। जनता अंग्रेजी सत्ता से मुक्ति पाने के लिये कुछ भी करने को तैयार थी। महज मजबूत संगठन और कुशल नेतृत्व की जरुरत थी। नारायण सिंह के नेतृत्व में तुरन्त 500 सैनिकों की एक सेना बनाई गयी।

यह खबर जब रायपुर के डिप्टी कमिश्नर स्मिथ के पास पहुँची तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने वीर नारायण सिंह के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की तैयारी आरम्भ कर दी। लगभग 21 दिन इस तैयारी में लग गये। 20 नवम्बर 1857 ई. को सुबह अंग्रेजों की सेना सोनाखान के लिये चल पड़ी। यह सेना पहले खरोद पहुँची, खरोद जहाँ पुलिस थाना था। डिप्टी कमिशनर स्मिथ इतना डर गया था कि वहाँ पहुँचते ही कटंगी, भटगांव, बिलाईगड़ और देवरी के जमींदारों को उसने सहायता के लिये बुलावा भेजा। 26

नवम्बर को स्मिथ को नारायण सिंह का एक पत्र मिला जिसे उसने पास बैठे एक जमींदार से पढ़वाया। पढ़ते ही स्मिथ गुस्से से आग-बबूला हो उठा। 28 नवम्बर तक स्मिथ तैयारी करता रहा।

29 नवम्बर की सुबह होते ही स्मिथ की फौज सोनाखान के लिए रवाना हो गई। स्मिथ इतना डरा हुआ था कि उसने रायपुर से जो सैनिक बुलवाये वे केवल अंग्रेज धुड़सवार थे। बिलासपुर से भी जो सैनिक बुलवाये गये थे, उनकी संख्या 50 थी और वे भी अंग्रेज ही थे। उनकी सेना में जो 80 बेलदार थे सिर्फ वे ही भारतवासी थे। इतना ही नहीं जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका लक्ष्य सोनाखान पर आक्रमण करना है, उनमें से 30 बेलदारों ने सोनाखान जाने से मना कर दिया। पर इधर स्मिथ के दिमाग में कुछ और ही बात थी। जब अपनी फौज के साथ सोनाखान की बस्ती में जाकर उसने देखा कि सारा गाँव खाली पड़ा है तो उसने खाली घरों पर ही गोलियाँ चलवाई और उसके बाद मकानों में आग लगा दी गई । स्मिथ की क्रूरता को देखकर लोग चौंक उठे। सोनाखान धू-धूकर जल रहा था। सुबह तक सोनाखान राख के ढेर में बदल गया था ।

सोनाखान के मकानों में आग लगाकर स्मिथ जब अपने डेरे की ओर वापस जा रहा था, तभी एक पहाड़ी के पीछे से नारायण सिंह ने उस पर गोलियाँ बरसानी शुरु कर दी। पर स्मिथ बच निकला।

नारायण सिंह ने युद्ध क्षेत्र में स्मिथ से मुकाबले की सारी तैयारियाँ कर रखी थीं। इसीलिए तो वह वीर कहलाए। पर वीर नारायण सिंह ने अग्निकाण्ड की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने अपने प्रिय सोनाख़ान को राख के ढेर में बदलते देखा।

2 दिसम्बर को कटंगी से अँग्रेज़ी फौज की सहायता आई। उस विशाल फौज की सहायता से स्मिथ ने पूरी पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। खूब गोलियाँ चली

किन्तु थोड़ी ही देर में नारायण सिंह की सेना की गोलियाँ खत्म हो गयी। अंत में, वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रायपुर जेल में डाल दिया गया। नारायण सिंह पर सत्ता के विरुद्ध द्रोह का मुकद्मा चलाया गया और अंग्रेज न्यायधीश ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई।

10 दिसम्बर 1857 को नारायण सिंह को रायपुर नगर के बीच स्थित चौक में फाँसी की सजा देकर, प्राणदण्ड दिया गया। तब से ही छत्तीसगढ़ की जनता ने इस अमर शहीद की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए इस चौक का नाम जयस्तंभ चौक रख दिया। छत्तीसगढ की जनता ने उनके प्रति अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करने के लिए मरणोपरान्त उन्हें वीर की उपाधि से सम्मानित किया। तब से उन्हें इतिहास में अब वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है।

अन्याय के खिलाफ सतत् संघर्ष का आह्वान, निर्भीकता, चेतना जगाने और ग्रामीणों में उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के प्रेरक कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी स्मृति में आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग में उत्थान के क्षेत्र में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान स्थापित किया है।

22 January versus 26 January: Some facts, some questions

Kanwal Bharti

"Pran-Pratistha" was performed in Ayodhya on 22 January 2024. Protests by the Shankaracharyas went in vain. In any case, their views were immaterial. The prime minister had played a key role in all the developments, including the bhoomi pujan and the setting up of the temple trust, following the Supreme Court verdict in favour of the Ram Temple. There was no reason why he should have deprived himself of the opportunity to perform the consecration of the temple. But another question begs an answer. Why was the pran-pratishtha ritual of "infusing life" into the idol of Ram performed just four days before the Republic Day (26 January)? What were the RSS-BJP trying to achieve with this timing? We will never get an answer to this question, just as we still don't know why 6 December (1992) was chosen to raze the Babri Masjid? But what is certain is that both the choices were deliberate.

We all know that 6 December is the death anniversary of Ambedkar, the maker of the Indian Constitution, and 26 January is the day on which it was enforced. Pulling down the Babri Masjid on 6 December was designed to show contempt for the Constitution and performing the pran-pratishtha and harping on Ram's rule just four days before the Republic Day was aimed at putting a question mark on the Constitution.

On the Prime Minister's call, Hindus all over the country celebrated Diwali on 22 January. They burst firecrackers and their colourful fireworks rent the sky. Markets, buildings, road intersections, streets, lanes, homes everything was illuminated. Special puja pandals were set up in the localities of Dalit and backward castes. Bhajan kirtans (recitals)

were organized in temples. The administration even arranged special pujas in prisons. The devotees of Ram took out processions. In Uttar Pradesh, Hindu officers, especially the District Magistrates and Superintendents of Police, visited temples and performed pujas in their respective districts. There were bhandaras (communal feasts) and distribution of prasad. Saffron flags emblazoned with images of Ram were fluttering on rooftops of Hindu homes.

All this did not happen suddenly or spontaneously. And this had nothing to do with devotion for Ram. It was just a government-sponsored demonstration of devotion for Prime Minister Narendra Modi. The government had officially called for lighting earthen lamps and illuminating buildings. The district administrations and the Rashtriya Swayamsevak Sangh-Bharatiya Janata Party (RSS-BJP) machinery ensured that the celebrations were grand. The Uttar Pradesh government had even allocated a special budget for the purpose.

This sponsored Diwali was a pre-poll test to verify that there has been no dip in the graph of devotion for Modi. And the mega turnout at Ayodhya and grand celebrations in the Hindi belt must have pleased Modi and the RSS to no end. In the euphoria over the Ram festival, they see the success of the politics of Hindutva. No wonder, RSS chief Mohan Bhagwat remarked: "Ramlala has brought India's self back … A new India has risen from the temple … Ramrajya is on its way." The RSS was formed in 1925 with the objective of building a Hindu Rashtra. Today, in 2024, it can draw satisfaction from the fact that its 100-year-long hard work is finally bearing fruit. No doubt, the Constitution is a stumbling block on the path to Hindu Rashtra, but a step in the direction of removing it has been taken by infusing the Hindu mind with the idea of Ram Rajya. Also, the Prime Minister describing Ram as the "Law of India" was not spontaneous. What did he mean to say?

The Prime Minister's speech was carried prominently by all newspapers on 23 January. *The Indian Express* published it in the form of an article. In his speech, the Prime Minister said, "This temple is not just a temple to a god. This is a temple of India's vision, India's philosophy, India's direction," he said. The Prime Minister also said, "We have to expand our consciousness from Dev to Desh, from Ram to Rashtra". Modi predicted that the "Ram Temple would change the discourse in the country. That discourse will be centred on the basic values of Ram Raya … Ram is the faith of India … Ram is the foundation of India, Ram is the idea of India, Ram is the law of India." He also said, "At this sacred place, we will have to lay the foundations of India for the next 1000 years." If this is not a call for making India a Hindu Rashtra based on Hindu laws, then what is?

Then, can we say that the advent of Hindi Rashtra in India was celebrated on 22 January? Should we treat this date as the day of "pran-pratistha" of Hindu Rashtra in the history of democracy? In other words, did 22 January mark the beginning of the end of democracy in India? Some pilgrims in Ayodhya were asked by TV anchors whether they felt that the "Treta Yug" was back. And the pilgrims said "yes". Is hailing the Treta Yug part of a political campaign? Can Treta Yug be brought back? Can the RSS-BJP turn the clock back?

That may not be possible, but the way Indian democracy is being turned into an

autocracy starting about a decade ago bodes ill not only for shared living but also for India as a nation. The BJP has virtually made Hindutva India's State religion and given rise to majoritarian nationalism in a democracy, stifled cultural diversity and has made the minorities feel hated and intimidated. Hatred for the minorities is in the air because it rules the hearts of the leaders of the BJP and the Sangh Parivar. A recent incident would suffice to underscore the point. On 23 January, a day after the pran-pratishtha in Ayodhya, 15 Muslim homes were bulldozed in Mumbai's Hyder Chowk. Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis revealed with great pride that "some Muslims had stopped and attacked a group of Hindu bike riders as they were going round the city raising slogans of 'Jai Shri Ram'. Hence, we have got the homes of those Muslims razed." Is this what is meant by Ram Rajya? And what would be the status of the Constitution in Ram Rajya? In BJP-ruled states, not only the homes of the Muslims, but the Constitution is also being bulldozed.

It is often said that RSS-BJP supporters form no more than 30-40 per cent of the population and that the remaining 60-70 per cent have faith in democracy and the Constitution and believe in co-existence and secularism. Even if this is taken as a gospel truth, we must not forget that the 30-40 per cent are blind devotees, who can do anything and everything at the instance of their leader. The people who can celebrate Diwali on one call of their leader, can very well carry out massacres on another call. Modern India has witnessed many mass killings executed by mobs of blind devotees. It was not without reason that Modi had told Parliament that "One Modi is more than a match for everyone else." A terrified intelligentsia and a senseless society haven't emerged out of thin air.

Can Ram Rajya be an alternative to democratic India? Is Ram Rajya which Prime Minister Modi wants to make the foundation for a new India compatible with peaceful co-existence and diversity? India has never experienced Ram Rajya. It is a mythical concept. The Valmiki *Ramyana* gives us two instances of what comprised justice in this mythical rule. A dog reaches the court of Ram with the complaint that a Brahmin has hit him with a stick. Ram asks the dog, "What punishment should I give to your tormentor?" The dog replies that in his previous birth, he was a wicked priest of a mutt and that was why he was reborn as a dog. The punishment he seeks for the Brahmin is that the latter should also be made the priest of a mutt. Ram accepts his plea. In another case, a Brahmin carrying the dead body of his son approaches the king. He demands justice. "What has caused his untimely death?" the Brahmin seeks to know. Enquiries are made and it is discovered that the Brahmin boy has met with an untimely death because a Shudra was performing penance on the banks of a river. Ram immediately goes to the spot and kills the Shudra. And the son of the Brahmin returns to life. If we take Sita's exile also as a guiding principle of the justice system under Ram Rajya, we can very well say that keeping the Shudras and the women under the thumb is the essence of Ram Rajya. Can such values form the core of the justice system

of a modern state? Can these values form the foundation of new India? Can such a Ram Rajya be an alternative to Indian democracy?

Let us dismiss Ram killing a Shudra and exiling his wife as acts of a mythical Ram. Let us talk about Modi's Ram, who, he says, is the law of India. Will this Ram shun the politics of Hindutva and Hindu nationalism? Will he stop being anti-minorities? Will he embrace secularism and the principle of peaceful co-existence? No BJP leader can answer these questions in the affirmative. Then, how can the rule of that Ram be better than the rule of the Constitution which we had adopted on 26 January 1950? The leaders of the BJP and the Sangh Parivar have been openly talking of replacing the Constitution. They have been openly calling for mass killings of Muslims. They have attacked churches. They have burnt a missionary alive. After all this and more, can we still hope that they would be a votary for peaceful co-existence? Had they believed in peaceful co-existence, would they have raked up the issue of the mosques at Kashi and Mathura after the settlement of the Ayodhya issue? A political drama is being played around Kashi and Mathura. With power in their hands, the RSS-BJP are bound to succeed once again. Won't they pull down the Kashi-Mathura mosques just as they had pulled down the Babri Masjid? Just as they celebrated Ram to polarize Hindus ahead of the 2024 general election, won't they celebrate Shiva in Kashi or Krishna in Mathura to win the 2029 elections? And then, like Ram, won't they describe Shiva and Krishna as the law of India? Will mythical characters and gods now run our country? It should be clearly understood that Ram Rajya or the rule of any other god is just another name for Hindu Raj.

Cowering intelligentsia, senseless society, sold-out media and State power have helped the RSS-BJP bring about Hindu Rajya. Ambedkar had warned about this possibility before independence. "If Hindu Raj does become a fact, it will, no doubt, be the greatest calamity for this country. No matter what the Hindus say, Hinduism is a menace to liberty, equality and fraternity. On that account it is incompatible with democracy. Hindu Raj must be prevented at any cost," he had prophesized.

BJP leaders may well talk of "Sabka Saath, Sabka Vikas", but the truth is that "Sabka Vikas" is not at all on the Hindutva agenda. Ambedkar had said, "The reason why the philosophy of Hinduism does not answer the test either of utility or of justice is because the religious ideal of Hinduism for divine governance of human society is an ideal which falls into a separate class by itself. It is an ideal in which the individual is not the centre. The centre of the ideal is neither individual nor society. It is a class the class of Supermen called Brahmins."

But the warning that Ambedkar had voiced in the Constituent Assembly on 24 November 1949 went unheeded. He had said, "On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality … We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up." But that contradiction continues to persist even 70 years later. And its victims are not conscious of it at all.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.